[श्री बी० बी० राजू]

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मेरा यह निवेदन है कि श्री जयप्रकाश नारायण जी ने जो वक्तव्य निकाला है वह इस घटना के बारे में काफी प्रकाश डालता है । यह देखा जाना चाहिये कि पूरी कांग्रेस पार्टी की ताकत वहां पर लगी हुई है । श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस घटना के बारे में अखबारों में ज्यादा प्रकाश नहीं डाला गया है । श्रीमन, जब हम हवाई जहाज से अपने मित्र श्री राम सेवक यादव को यहां ला रहे थे तो हमारे साथ इंडिन नेशन और प्रदीप के प्रतिनिधि भी थे । अन्होंने बतलाया कि सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस...

श्री उप सभापति : आपको इसी एक विषय पर बोलना चाहिये और दूसरे विषयों पर नहीं बोलना चाहिये ।

श्री राजनारायण : हम दूसरे विषय पर नहीं जा रहे हैं । मैं यह कहना चाह रहा था कि उन लोगों ने हमको बतलाया कि वहां पर सेन्ट्रल पुलिस सादे कपड़ों में मंत्रियों के घरों के चारों ओर खड़ी की जाती है । जब किसी कांग्रेस की मीटिंग होती है तो वहां पर 2 हजार आदमी होंगे तो 10 हजार सादे कपड़ों में पुलिस वाले होंगे और इस तरह से वहां पर हजारों की संख्या में पुलिस वाले आज मौजूद हैं । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस अहम मसले की तरफ सरकार को गौर करना चाहिये कि जो 19 आदमी बस पर पड़े हुए हैं, जेल के कम्पाउन्ड के पास पड़े हुए हैं उनके लिए कोई रहने की जगह नहीं है । आज श्री कर्पूरी ठाकुर के लिए रहने के लिए जगह नहीं है । क्या यह सरकार इस बात को रियलाइज नहीं करती और क्यों नहीं उन लोगों को छोड़ देती जब कि असके पास जेलों में रखने के लिये जगह नहीं है । (*Interruption*)

श्रीमन्, मैं यह मामला जनाब सदर की इजाजत से उठा रहा हूं । मैं चाहता हूं कि यह सरकार देखे कि आज बिहार में कोई सरकार नहीं है, बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है, वहां की जेलों में जगह नहीं है । जब सरकार जेलों में आदमियों को रखती है तो उन्हें वहां पर राशन मिलना चाहिये, उनको कपड़ा मिलना चाहिये, उनको ओढ़ना मिलना चाहिये, लेकिन ये चीजें उन्हें नहीं दी जा रही हैं । ऐसी स्थिति में क्या पार्लियामेंट शान्त बैठी रहेगी और पार्लियामेंट के सदस्य यहां पर बैठ कर सरकार से छोटे मोटे सवाल पूछ कर आत्म-तुष्टि करते रहेंगे । इसलिये मैं चाहूंगा कि आप इस पर एक दिन मुकर्रर करें ताकि वहां पर जेल में बान्दियों के साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है, उस पर विचार किया जा सके । इस सरकार के चरित्र का विश्लेषण करना होगा तो जेल में बन्दियों के साथ हुये व्यवहार को देखना होगा । सभ्य सरकार रहेगी तो सभ्य व्यवहार होगा, असभ्य सरकार रहेगी तो असभ्य व्यवहार होगा । श्रीमन्, जेल के अन्दर इन लोगों को बन्द करके पीटा जा रहा है । जेल के अन्दर जो पुराने कैदी हैं उन कैदियों को उभारा जाता है है कि तुम इन सत्याग्रहियों के ऊपर वार करो और इस तरह से साजिश करके जो सत्याग्रही हैं, आन्दोलनकारी हैं उनको नाना प्रकार की यातनायें दी जा रही है । तो आपके द्वारा इस सरकार से और सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आग से न खेला जाय और जो एक सभ्य कानून का तरीका है उसके अनुसार व्यवहार होना चाहिये ।

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : यह प्रान्तीय सरकार का काम है ।

श्री राजनारायण : 19 आदमियों को बस में खड़ा रखा जाय ?

श्री रणबीर सिंह : यह प्रान्तीय सरकार के देखने की बात है ।

श्री राजनारायण : वहां इंदिरा की सरकार है ।

MOTION REGARDING TWENTY-FIRST REPORT OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES FOR THE YEAR 1971-72 AND 1972-73—contd.

श्री भैरों सिंह शेखावत (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदय, इस रिपोर्ट का संबन्ध हिन्दुस्तान के उन 11 करोड़ व्यक्तियों से है जिनमें आज भी 95 परसेंट से ज्यादा व्यक्ति आमदनी के मिनिमम लेवल आफ कन्जम्पशन से नीचे हैं । भारत सरकार निरन्तर इस बात की घोषणा करती आई है कि जिस समय तक भी आवश्यक होगा उस समय तक भारत सरकार इन 11 करोड़ व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करेगी ।

उपसभापति महोदय, हमारे संविधान के निर्माता शायद यह विश्वास करके चले थे कि 10 वर्ष में इस वर्ग की आर्थिक स्थिति सुधर जायेगी और इसके आगे किसी भी प्रकार रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन सम्भवतः उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि 10 वर्ष और आगे के वर्षों में किस प्रकार की सरकार रहेगी और उस सरकार से इस बात की अपेक्षा करनी चाहिये या नहीं करनी चाहिये। वह रिजर्वेशन बढ़ते-बढ़ते 25 वर्ष तक आ गया, लेकिन आज भी कोई यह नहीं कह सकता, —और मैं समझता हूं कि सही भी है—कि हिन्दुस्तान के इन 11 करोड़ व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति इस सीमा तक सुधरी है कि अब रिजर्वेशन की स्थिति की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि आज भी वे गरीब हैं। इस गरीबी का कारण शोषण है। पहले आर्थिक शोषण के कारण उनमें गरीबी रही, लेकिन पिछले 27 वर्षों से उनका राजनीतिक शोषण किया जाता रहा है। आज 11 करोड़ व्यक्तियों की गरीबी सरकार के पास गिरवी रखी हुई है। इस बात का अनुमान एक ही चीज से लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देते तो कभी भी वहां कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलता। मेरा यह चार्ज है कि इस सरकार के ऊपर कि उनको गरीब बनाये रखने में इस सरकार का निहित स्वार्थ है, वरना मैं यह मान कर नहीं चल सकता कि पिछले 27 वर्ष से दुनिया भर के कानून पास करने के बाद, सहानुभूति की बातें करने के बाद, विभिन्न प्रकार के एक्ट और रूल्स लागू करने के बाद आज भी इस प्रकार की स्थिति रहती। उनकी हालत सुधर सकती है एम्प्लायमेंट से, छोटी इंडस्ट्रीज से, लैंड के एलाटमेंट से, फाइनेंशियल एड से और कानूनी सहायता से। इसी प्रकार से उनका सोशल स्टेटस बढ़ाया जा सकता है, सोशल एटमासफियर क्रिएट करने से, जितनी सोशल इविल्स हैं उनको दूर करने से। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक इस संबन्ध में हमारी सरकार ने किसी प्रकार का कोई एफर्ट नहीं किया।

उपसभापति महोदय, समय के अभाव में छोटी-छोटी बातें कहने के बजाय मैं अपने इस आरोप की पुष्टि में कुछ तथ्य बताना चाहूंगा। जहां तक एजुकेशन का प्रश्न है, 1971 की जनगणना के अनुसार शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में लिटरेसी की परसेंटेज 14.11 और 11.19 क्रमशः है जबकि जनरल एवरेज 29.35 है। इससे हम यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इन लोगों की जितनी प्रगति होनी चाहिये थी वह हम नहीं कर पाये। इसका सबसे मोटा कारण मैं एक ही बताना चाहूंगा कि प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल तक, मिडिल स्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल तक, हायर सेकेण्डरी स्कूल से कालेज एजुकेशन में शामिल होने के लिये जिस प्रकार का वेस्टेज है, मैं समझता हूं कि संसार के किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होगा। प्राइमरी से लेकर कालेज में घुसने तक 80 परसेंट एजुकेशन का वेस्टेज चल रहा है और यह वेस्टेज जब तक नहीं रोका जायेगा तब तक आप इनमें शिक्षा का प्रसार नहीं कर सकते। भारत सरकार ने तय कर रखा है कि हाईस्कूल के कालेमेज में हम उनको सहायता देंगे। लेकिन यदि प्राइमरी लेविल पर उनको सहायता नहीं दी जायेगी, मिडिल लेवल पर नहीं दी जायेगी तो इससे हम इस वर्ग में किसी प्रकार की शिक्षा का विस्तार नहीं कर सकते।

एंप्लायमेंट के बारे में मैं कहना चाहता हूं--उप सभापति महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हिन्दुस्तान में पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग में और प्राइवेट इंडस्ट्रीज के विषय में बार-बार यह सरकार घोषणा करती है कि इन लोगों को इनमें सर्विसेज मिलनी चाहियें। लेकिन पिछले साल तक के जो आंकड़े हैं उनके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग में डेढ़ परसेंट से ज्यादा व्यक्ति आज तक नहीं लिये गये हैं। अगर माननीय सभापति महोदय इजाजत दें तो मैं बता सकता हूं कि किस सैक्टर में किस प्रकार का परसेंटेज है, ऐवरेज परसेंटेज कितना आता है। आफिसर्स में नेगलिजीबुल परसेंटेज है, शेड्यूल्ड कास्ट का। नेशनलाइज्ड बैंकों में पब्लिक अंडरटेकिंग में भी नेगलिजिबुल परसेंटेज है। यही हालत गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज में भी वही हालत है।

श्री ओम मेहता: मैं जवाब दूंगा आप बोलिये।

श्री भैरों सिंह शेखावत: मेरे पास आंकड़े हैं। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार यदि वास्तव में ईमानदार है तो अनटचेबिलिटी के लिये जैसे आपने कानून बनाया है, आप इस तरह का कानून क्यों नहीं बनाते कि कोई भी

[श्री भैरों सिंह शेखावत]

पब्लिक अंडरटेकिंग यदि भारत सरकार के निर्देशानुसार शेड्यूल्ड कास्टस् को नौकरी परसेन्टेज के हिसाब से नहीं देगी तो उस आफिसर को जिसकी गलती के कारण से नौकरी नहीं मिली, प्रासीक्यूशन किया जायेगा। आप इस प्रकार का कानून बना दें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपके निर्देश का इंप्लीमेंटेशन होगा।

लैंड अलाटमेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में एक फैशन चला। कांग्रेस के नेताओं ने किस प्रकार से जमीनें हड़पीं, इसके लिए उन्होंने व्यवस्था की सारी राज्य सरकारों ने टेनेन्सी लाज बनाये, जिसके अनुसार कोई जमीन पर इनक्रोचमेंट नहीं करेगा। यह 1952 से चलता आ रहा है, परन्तु कोई राज्य सरकार ऐसी नहीं होगी जहां इनक्रोचमेंट नहीं हुआ है। साधन सम्पन्न लोगों ने इनक्रोचमेंट किया। सीलिंग से आपको जमीन मिलना संभव नहीं है। इसलिये मैं सरकार को दूसरा सुझाव देना चाहूंगा कि यदि आप जमीन अलाटमेंट करना चाहते हैं तो 1952 से लेकर 1972 तक जिन्होंने जमीन पर इनक्रोचमेंट किया है, इरेगुलर पोजेशन किया है, उससे उनको बेदखल किया जाए और यह जमीन हरिजनों को बांटी जाए। लेकिन वहां पर भी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वहां भी मैं कह सकता हूं कि 90 परसेंट कांग्रेस के लोग हैं, कई मुख्य मंत्री एवं मंत्री हैं, जिन्होंने हरिजनों की जमीन पर कब्जा किया है। आप उनको जमीन नहीं दिला सकते।

लैंड ऐलिनियेशन का सवाल आता है। आज महाराष्ट्र में जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनमें आदिवासियों की जमीन ली गई है। उनको जमीन के ऐवज में पैसा दिया जा रहा है, लेकिन जमीन के ऐवज में उनको जमीन नहीं दी जा रही है। आज मनीलेंडर्स उनको खा रहे हैं। आज जमींदार उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इस समय एक प्रकार का युद्ध चल रहा है। वहां पर जमीन है परंतु फोरेस्ट का है। फोरेस्ट लैंड जो खाली पड़ी है उस पर कल्टीवेशन करना चाहता हैं तो फोरेस्ट वाले कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक से हमको पैसा दिया गया है, हम फोरेस्ट लगायेंगे और उनको हटायेंगे। एक तरफ उनको हटाने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ रेमंड मिल्स को 10 हजार एकड़ जमीन जो कि हरिजनों और आदिवासियों को अलाट की जा सकती थी, वह उसको अलाट की गई है।

आप सामाजिक कुरीतियों की बात करते हैं। मैं इसी रिपोर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि जो शराब के ठेकेदार हैं, वह इन शैड्यूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों को किस तरह से परेशान कर रहे हैं।

"The tribals are forced by the liquor contractors to drink under duress and instances have come to notice when the tribals have almost bartered away all their harvest for a few bottles of liquor. The owners of these shops are reported to engage *Lathaiti* and create a state of terror in the region. It is alleged that they forcibly enter the tribal huts without any fear of authority, sometimes under the guise of helping the authorities to check and detect illicit distillation. It is reported that in certain areas there are almost compulsory levies per family or per lough or per marriage in the form of minimum consumption of,, liquor on the point of threat that if he * fails to pay he will be hauled before law for real or imaginary cases of "illicit distillation ..."

आप इससे अन्दाजा लगा लें। इसमें आंकड़े दिए हैं उससे पता लगता है शराब की इन्कम, जहां ट्राइबल एरियाज हैं, उनमें किस मात्रा में बंधी है। मैं दूसरा सवाल यह पूछना चाहता हूं कि ट्राइबल एरियाज को कांलीटली ड्राई डिक्लेयर कर दिया जाए, यदि आप उनको सामाजिक कुरीतियों से बचाना चाहते हैं।

सभापति जी, आज देश में प्रगति की बातें की जाती हैं, लेकिन हिन्दुस्तान में बहुत लोग हैं जिनका काम फोर्स्ड लेबर के नाम से चल रहा हैं। रिपोर्ट में लिखा है :

"Begar and other similar forms of forced labour as prohibited under Article 23 of the Constitution are still continuing to exist."

मैं समझता हूं कि इस सरकार को शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए । 25 वर्ष हो गए देश को आजाद हुए लेकिन फोर्स्ड लेबर जो ट्राइबल एरिया में चालू है उनको आजाद नहीं कर सके हैं । आपने नये कानून बनाए लेकिन किसी कानून के संबंध में आपने उन लोगों को जानकारी नहीं दी । मैं सरकारी रिपोर्ट के आधार पर आप को बताना चाहता हूं कि फोरेस्ट एरिया में किस प्रकार से उसका शोषण हो रहा है । कंट्रैक्टर और फोरेस्ट अफसर दोनों ने मिल कर इनको जंगलों में घेर रखा है । जंगल से बाहर निकलते हैं तो परमिट लेकर निकलना पड़ता है । शादी-विवाह करना होता है तो परमिट लेकर करना होता है। इसी प्रकार के फारेस्ट ट्राइबल अगर दूसरी जगह नौकरी करना चाहते हैं तो परमिट लेकर जाना पड़ता है । इकोनोमी की रिपोर्ट को देखेंगे तो आप पाएंगे इसके पेज नम्बर 20 के ऊपर इस प्रकार का चित्र पायेंगे। इस संबंध में मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने जो को-आपरेटिव सोसाइटी इसके लिए बनाई है तो वह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का केन्द्र बन गया है । आप मध्य प्रदेश में चले जाइये तो आप देखेंगे उसमें दो करोड़ रुपए का घाटा हुआ । मध्य प्रदेश ट्राइबल डेवलैपमैंट कारपोरेशन आदि जो हुए हैं सब में इसी प्रकार घाटा चल रहा है । अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल के बारे में भारत सरकार पिछले कई वर्षों से कहती आ रही है कि लिस्ट को हम रिवाइज करेंगे लेकिन अभी तक उस लिस्ट को रिवाइज नहीं किया गया । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उस लिस्ट को भी जल्दी से जल्दी रिवाइज करें ।

— MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Raj*nurn'm*, you will have to finish in five minutes.

SHRI V. B. RAJU : It will be a record feat for him. !

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, आपको और सदन को इस बात की पूरी जानकारी है कि हरिजन से संबंधित समस्याओं के बारे में कई बार चर्चा हुई मगर हम देखते हैं कि चर्चा हो करके जो जहां पड़ी हुई है वहीं पड़ी हुई है कहीं गाड़ी तनिक भी आगे बढ़ नहीं रही है।

मैं यह चाहूंगा कि इस सदन के सम्मानित सदस्य और जो अपने को सदन में बुद्धिवादी कहते हैं राजू साहब भी उसमें आ सकते हैं, वे जरा गम्भीरता से इस प्रश्न पर विचार करें कि कारण क्या है ? हरिजनों के लिए तरक्की की बात करते हैं मगर उनकी तरक्की तो होती नहीं और तरक्की हो जाती है हरिजन के नाम पर ब्राह्मणों की । मैं चाहूंगा कि हमारे सदन में विपक्षी पक्ष में जो माननीय सदस्य बैठे हैं वे इस समस्या पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें ।

आप 1971 के लोक सभा के चुनावों को देख लें और उसका नतीजा देख लें कि इस समय कांग्रेस रूलिंग पार्टी में लोक सभा में कितने सदस्य हैं जो विशिष्ट ब्राह्मण में और वाल्मीकि ब्राह्मण में भेद समझते हैं । जो विशिष्ट ब्राह्मण वादी हैं वे इनकी हत्या करते हैं और आप देखेंगे कि इन विशिष्ट ब्राह्मणों का पूरा-पूरा बोल-बाला अगर कहीं है तो रूलिंग पार्टी में ही है। और उसके रहते हुए 353 में से 180 के करीब विशिष्ट ब्राह्मण हैं । तो इतना जबर्दस्त बाहुल्य जिस सरकार में, जिस में विशिष्ट ब्राह्मणों का हो उस सरकार से रुदन करना कि हरिजनों को उठाओ, इनकी तरक्की करो, इनको सहूलियत दो . . .

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि बी० एल० डी० में कितने शेड्यूल्ड कास्ट के मेम्बर हैं ?

श्री राजनारायण : हमारे मित्र श्री ओम मेहता आपकी इजाजत से उत्तर देने का मौका दिये हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी में 85 फीसदी पिछड़े लोग हैं। आप यह भी जानते हैं कि हमारी पार्टी 29 अगस्त, 1974 को मावलंकर हाल में

[श्री राज नारायण]

बनी है। इस थोड़े से असें में हमने इतना काम किया है। जैसा मैंने बताया हमारी राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी में 85 फीसदी पिछड़े लोग हैं और शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं।

श्री ओम मेहता : अभी 9 मेम्बरों में से कितने शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं ?

श्री राजनारायण : हमारे श्री ओम मेहता भाई सरकार के मंत्री हैं। आप यह देख लीजिये कि श्री रबी राय हमारे लीडर हैं। ये पिछड़ी जाति के हैं। जो आपकी डिप्टी चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे हैं, ये भी पिछड़ी जाति के हैं।

(Interruption)

SHRI OM MEHTA : I am not talking about Backward Classes. I am talking about the Scheduled Castes.

श्री राजनारायण : शेड्यूल्ड कास्ट को भी इसी नजरिये से देखिये।

SHRI OM MEHTA : Unless Mr. Rainarain says that he is a Scheduled Caste.

श्री राजनारायण : मैं यहां पर गांधी जी के उसी वाक्य को दोहराता हूं। मैं पुनर्जन्म में यकीन नहीं करता हूं। फिलोसिफी का एक स्टूडेन्ट होने के नाते निश्चित नहीं कह सकता हूं क्योंकि इसके बारे में हमारे मन में कुछ संशय हो गया है। इसलिये कहता हूं कि अगर मेरा पुनर्जन्म हो, जैसा गांधी जी ने कहा, तो मैं चाहूंगा कि मेरा जन्म किसी भंगी के घर में हो। तमाम लोग इस बात को जानते हैं दूसरों का पाखाना साफ करता हूं और वह इसलिये कि किसी भंगी के मन में यह शंका पैदा न हो कि पाखाना साफ करने से वह छोटा आदमी है। मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय हमारी बातों को समझकर जवाब दें। जब तक इस देश को वशिष्ठ ब्राह्मणवाद से छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक हरिजनों के साथ न्याय नहीं हो सकता है, पिछड़ी जातियों के साथ न्याय नहीं हो सकता है। श्री भोला पासवान को केबिनेट से हटाया गया और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, रईसे इलाहाबाद को केबिनेट में रख लिया गया। वे इस वक्त मेरे सामने हैं, इसलिये उनका नाम ले रहा हूं।..(*Interruption*)। मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की इतनी बड़ी पार्टी है। श्री भोला पासवान शास्त्री को तब तक मंत्रिमण्डल में बनाए रखा गया जब तक श्री ललित नारायण मिश्र के विरुद्ध जो आयोग बना था और श्री कर्पूरी ठाकुर ने जो जांच आयोग बनाया था, उसका मामला खत्म नहीं हो गया। उसके बाद श्री भोला पासवान शास्त्री को निकम्मा करके निकाल दिया। मैं यहां पर दो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। हम चाहते हैं, विश्व बन्धुत्व, विश्व मैत्री और इन्दिरा जी चाहती हैं कि विश्वयारी। हम यकीन करते हैं युनिवर्सलिजम में और वे विश्वास करती हैं कोस्मोपोलेटिजम में। मैं पूछना चाहता हूं कि विश्व मैत्री क्या है, विश्व बन्धुत्व क्या है ? हम अगर अपनी नाक के नीचे, आंख के नीचे किसी मनुष्य को मरते देखेंगे तो उसको उठाएंगे, लेकिन विश्व यारी क्या है। इसमें मानवता नष्ट हो रही है। हम मानवता का उत्थान करना चाहते हैं, लेकिन विश्व यारी मानवता को नष्ट कर रही है। यह मौखिक है। यह यारी या मित्रता नहीं है; यह बन्धुत्व नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं : क्या सरकार

1 P.M.

आज विश्व बन्धुत्व के सिद्धान्त पर चलेगी और अगर विश्व बन्धुत्व के सिद्धान्त पर चलेगी...श्रीमान्, अब मैं कैसे बोलूं ? देखिये विपिन पाल दास साहब चले जा रहे हैं। कम से कम इस विषय पर चर्चा हो तो दास साहब को यहां रहना चाहिये। तो मैं कह रहा था वह कैसे हो ? क्या आज वहां पर बैठे हुए लोग इस बात के लिये तैयार हैं कि वे अन्तरजातीय विवाह करेंगे। एक ब्राह्मण (द्विज) जब तक अपनी लड़की को शेड्यूल्ड कास्ट के लड़के को विवाह में न दे, जब तक भारतवर्ष के द्विज के दिमाग में ऐसा नहीं होगा तब तक हरिजनों का कल्याण नहीं होगा। इस बात को माननीय ओम् मेहता, विश्वनाथ सिंह और दूसरे भारत सरकार के लोग मान लें, वरना वह सब मौखिक रहेगा, वर्ग-व्यवस्था कायम रहेगी। अब तो विभिन्न जातियों में सारा समाज बंट गया है। इसलिये यदि शेड्यूल्ड कास्ट की तरक्की सरकार करना चाहे तो एक काम कर दे—नियम बना दे कि जो द्विज की लड़की हरिजन के लड़के से शादी करेगी, या व्हाइस वर्सा भी कर दें, मगर मैं ज्यादा जोर द्विज की लड़की और हरिजन लड़के की शादी पर दूंगा, क्योंकि आपके यहां जो मनु: स्मृति शास्त्र पढ़े हैं वह 'जानते होंगे ब्राह्मण का यह अधिकार माना गया है कि वह किसी

की भी लड़की शादी में ले सकता है मगर शूद्र को, हरिजन को, यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह ब्राह्मण की लड़की ले सके। उस विषय की जानकारी रखते हुए मैं कह रहा हूं कि सरकार यह कानून बना दे कि द्विज की लड़की की अद्विज के लड़के से शादी हो तो जितनी सैलेरी है उस केटेगरी में उसका कम से कम एक-तिहाई हिस्सा और ज्यादा मिलेगा।

श्री ओमप्रकाश त्यागी (उत्तर प्रदेश): गवर्मेंट सर्विस पर प्रेफरेन्स मिलेगा, यह कहो।

श्री राजनारायण: . . .और गवर्मेंट सर्विस में उसको प्राथमिकता मिलेगी।

दूसरी बात, उनके लिये निवासस्थान हो, जमीन की व्यवस्था हो, उनको हर प्रकार का दरजा मिलना चाहिये, व्यवस्था होनी चाहिये। कुछ माननीय सदस्यों के हृदय में ठेस लगती है। वह हम कहते हैं: क्या तुम अपनी लड़की को हरिजन को देने के लिये तैयार हो। मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं मेरी कोई लड़की नहीं है, अगर हमारी लड़की होती तो मैं कोशिश करता समझाने बुझाने की कि अपनी शादी करो हरिजन लड़के के साथ। मगर मैं इन्दिरा जी की तरह डिक्टेटर नहीं हूं जब मन में जैसा आए बिना समझाए-बुझाए उस काम को कर दूं। इसलिये सरकार यह कानून बना दे तो मामला साफ हो जाता है।

इसी के साथ मैं श्री ओम् मेहता से कहूंगा मुझे ऐसी जानकारी कराई गई है, उसका उत्तर आ गया है, शायद यह विभाग उन्हीं के पास आ गया है। सही है, वाणी मधुर है मगर परस्पर-विरोधी सिद्धान्तों का संघर्ष केवल मधुर वाणी से टाला नहीं जा सकता। मैं जानना चाहता हूं 1946 से लेकर 1952 से हर इलेक्शन मेनिफेस्टो में, सोशलिस्ट पार्टी कहिये या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कहिये या संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी कहिये या भारतीय लोक दल कहिये, यह 1955 की जो रपट है काका साहेब कालेलकर की, उस रपट को इस सरकार ने लागू क्यों नहीं किया (*Timebell rings*) मैं चाहता हूं, सरकार के लोग समझें। श्री गोविन्द वल्लभ पंत जब गृह मंत्री थे उन्होंने सफाई से कहा था मैं इस रपट को लागू नहीं करूंगा। क्या यह सही नहीं है कि उसमें 25 परसेंट तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में और 20 परसेण्ट सेकेंड और प्रथम श्रेणी में उनके लिये रिजर्व रखा जाए? क्या उसके मुताबिक कहीं कोई काम हो रहा है?

श्रीमान्, मेरा कहना यह है कि यह सरकार जो कहती है उसके मुताबिक उसको काम करना चाहिये क्योंकि जो हरिजनों की करुणा-गाथा है उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। श्रीमन्, हमारे पास आंकड़े हैं और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जवाहर लाल नेहरू के और शास्त्री जी के 17 साल के शासन में जितने हरिजनों को जिन्दा जलाया गया, उससे दुगुने हरिजन आज इन्दिरा नेहरू गान्धी के शासन काल में जलाए गए हैं और उससे 15 गुना ज्यादा हरिजनों के गांवों को फूंक दिया गया है। इसके साथ ही साथ गरीब मुसलमानों को भी जला दिया गया।

SHRI OM MEHTA : I strongly refute his charge.

श्री राजनारायण: यह तो सरकार की आदत है। इसीलिये मैं श्री ओम् मेहता से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर श्री ओम् मेहता इसी आदत पर पड़े रहेंगे तो जो हमारे सही आरोप हैं, वे उनका रिफ्यूट करते रहेंगे और वे कभी भी हरिजनों का कल्याण करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned till 2. P.M.

The House then adjourned for lunch at seven minutes past one of the clock.

The HOUMC reassembled after lunch at iwo minutes past two of the clock.

[The Vice-Chairman Shri Jagdish Prasad Mathur in the chair.]

श्री बलराम दास (मध्य प्रदेश): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले केन्द्रीय सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने काफी सोच-समझ कर कालेज स्टेज पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की स्कालरशिप 50 परसेंट 74-75 में बढ़ा दी है। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन इसके साथ मैं यह भी कहूंगा कि यह जो बढ़ोतरी हुई है वह काफी देर से हुई है। बहुत दिन से विद्यार्थियों की मांग चल रही थी और बहुत-से विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद हुआ क्योंकि

[श्री बलराम दास]

जब उनके पास शिक्षा का पूरा-पूरा साधन नहीं होता तो निराश होकर या तो उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है या फिर वे फेल हो जाते हैं। इस दृष्टि से मैं यह चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार यह प्रयास करे कि जो प्रान्तीय सरकारें हैं उनको आदेश प्रसारित करे कि मैट्रिक तक जो स्कालरशिप दी जाती है उसके ऊपर भी पुनर्विचार किया जाए क्योंकि इस महंगाई की वजह से वह पर्याप्त नहीं होती। मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण दूंगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 73-74 में 10 रुपया महीना स्कालरशिप में बढ़ाया, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि पिछले 15-20 वर्ष की हालत को देखा जाये तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि स्कालरशिप की बढ़ोतरी उसको देखते हुए कुछ भी नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने 50 परसेंट स्कालरशिप बढ़ाई है। उसको देखते हुए यदि मध्य प्रदेश शासन ने 30 रुपए की जगह 40 रुपए कर दिया तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है।

इसके साथ-साथ मैं आपको इसका उदाहरण दूंगा कि हमारे यहां मध्य प्रदेश में आश्रम स्कूल करीब 135 हैं। होस्टल करीब 1376 हैं। कमिश्नर की रिपोर्ट में होस्टल की फिगर्स दी हैं, लेकिन आश्रम स्कूलों के बारे में जानबूझ कर मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश शासन ने कोई सूचना नहीं दी। इस वजह से नहीं दी कि आश्रम स्कूलों में जो लड़के रहते हैं उनको 40 रु० जो दिये जाते हैं उनमें कपड़ा, जूते, खाना-पीना सब शामिल रहता है, और इस महंगाई में चूंकि वह पूरा नहीं होता इसलिए वह बेचारे परेशान होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। कभी सुबह खाना मिलता है तो शाम को नहीं मिलता, कभी शाम को मिलता है तो सुबह नहीं मिलता। तो मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करूंगा कि उनकी स्कालरशिप के बारे में प्रान्तीय सरकारों को कुछ आदेश दे जिससे कि उन लोगों की पढ़ाई-लिखाई सही रूप से चल सके।

मैं आपके सामने 1970-71 और 1971-72 में मध्य प्रदेश के आश्रम स्कूलों व होस्टलों की उपस्थिति के बारे में कहना चाहूंगा कि 1970-71 में 66 परसेंट रह गई और 1971-72 में 88 परसेंट रही। इससे साफ जाहिर होता है कि जितने विद्यार्थियों को ऐडमिशन होस्टल्स वगैरह में दिये जाते हैं वह बेचारे परेशान होकर अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और उनकी पढ़ाई आगे नहीं चल पाती।

इसके अलावा मैं मध्य प्रदेश के बारे में कहना चाहूंगा कि जो शैड्यूल्ड कास्ट के स्टुडेंट्स हैं उनके माता-पिता की आमदनी 300 रु० से ऊपर होती है तो उनको स्कालरशिप नहीं मिलती है। मैंने देखा है कि एक प्राइमरी स्कूल का मास्टर जो 15-20 साल पुराना है, उसका एक लड़का बी० ए० में पढ़ रहा है और उसके दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके किसी बच्चे को स्कालरशिप नहीं मिलता, क्योंकि 300 रुपये की आमदनी का बंधन है और वह बड़ी परेशानी में है। उसके बच्चे पढ़ाई-लिखाई नहीं कर पाते। लोक-सभा की जो संसदीय समिति थी उसने यह सिफारिश की थी कि सरकार को चाहिए कि इस स्कालरशिप के लिए 300 रुपये से बढ़ा कर 500 रुपये की सीमा करनी चाहिए। 500 रु० से ऊपर यदि किसी की आमदनी है तो भले ही उसके बच्चों की स्कालरशिप न दीजिए, लेकिन 300 रु० तक की सीमा को बढ़ा कर उसकी जगह 500 रु० की सीमा कर देनी चाहिए। यह सुझाव मैं आपके द्वारा मध्य प्रदेश शासन को देना चाहता हूं।

इसके अलावा कई प्रकार की जो बाधाएं हैं, इनकम सर्टिफिकेट्स की उनके बारे में भी केन्द्रीय सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए।

इसके अलावा आज जो छात्र वर्ग है उसमें बेरोजगारी की वजह से निराशा है और इस कारण वह तबियत से पढ़ाई नहीं कर पाता। उसका कारण यह है कि रोजगार देने में जिस प्रकार का पक्षपात किया जाता है, रिजर्वेशन जितने लोगों को दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया जाता; मैंने देखा है कि जब कभी भंगी बस्तियों में हम जाते हैं और उनसे यह कहते हैं कि अपने लड़कों को, बच्चों को पढ़ाइये तो वह यह कहते हैं कि हमारी बस्ती में 10, 5 लड़के हैं जो मैट्रिक हैं, बी०ए० हैं, इन्हीं को नौकरी नहीं मिलती तो और बच्चों को पढ़ाने से क्या फायदा है? सरकार की जो लोकल बाडीज है, म्यूनिसिपैलिटीज है या कारपोरेशन है उनमें रिजर्वेशन लागू नहीं होता। इससे क्या होता है कि अगर किसी भंगी भाई का लड़का मैट्रिक पास या बी०ए० पास कर ले तो जो म्यूनिसिपैलिटी वगैरह में क्लैरिकल स्टाफ होता है, उसमें एल०डी०सी० या यू०डी०सी० की जगह भी उनको नहीं मिलती है। इसलिए उन लोगों में पढ़ाई के प्रति हमेशा निराशा होती है और वह सोचते हैं

कि इस पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा है । यह बेचारा यदि अनपढ़ रहता तो यह ट्टटी पेशाब साफ करने का काम करके अपना गुजारा कर सकता। लेकिन जो यह पढ़े-लिखे लोग हैं उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है । मैंने देखा है 5-6 साल से बेचारे बेकार पड़े हुए हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है ।

दूसरे मैं यह कहना चाहूंगा कि ये लोग छुआछूत से पीड़ित हैं । कोई हरिजन चाहे कि मैं चाय की दुकान खोल लूं या पान की दुकान लगा लूं या छोटा-मोटा धंधा कर लूं तो वह छुआछूत की वजह से कर नहीं सकता। इसलिये उनका केवल एक दरवाजा है वह है पढ़-लिख कर गवर्नमेंट में सरकारी नौकरी कर लेना। सरकारी नौकरी मिल जाती है तो उससे वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है । मैं जो यह बात कह रहा हूं यह कोई नई बात नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि प्लानिंग कमीशन ने 1964 में यह रिकमैन्डेशन की थी कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्ज हैं उनके रोजगार के लिये इन्तजाम करना चाहिए । इसी रिकमैन्डेशन को लेकर स्वर्गीय नेहरू ने विभिन्न प्रांतों के मुख्य मंत्रियों को डी०ओ० लैटर लिखे थे । उन्होंने लिखा था कि जो प्लानिंग कमीशन की रिकमैन्डेशन है इसके बारे में हमें बड़ी गम्भीरतापूर्वक सोच कर अमल करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ही कुछ मुख्य मंत्रियों की तरफ से रिसपोंस आया हो । वैसे मुझे मध्य प्रदेश के बारे में मालूम है कि हमारे यहां के जो मुख्य मंत्री हैं उन्होंने उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है । हरिजन आदिवासियों के रिजर्वेशन के बारे में विशेष ध्यान दें यह उन्होंने लिखा है । इसके अलावा अभी जो भगवती समिति की रिपोर्ट अनएम्पलाएमैंट के बारे में पेश हुई उसमें सबसे पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में काफी सुझाव दिए हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे भारतवर्ष में करीब 225 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जहां इंडस्ट्रीयल यूनिट्स या इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं उन लोगों को जरूर प्राथमिकता देनी चाहिए और रिजर्वेशन के अलावा भी उनको स्थान देना चाहिए। इसके अलावा 18-19 मई 1973 में रक्षा लोक क्षेत्र उपक्रमों के एक्जीक्यूटिवों की एक मीटिंग हुई थी । उन्होंने भी यह रिकमेंडेशन दी थी कि इसके बारे में हमें ख्याल रखना चाहिए। होता यह है कि जो प्राइवेट अंडरटेकिंग्स है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं उनमें रिजर्वेशन के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इससे हरिजन आदिवासियों को बड़ी निराशा होती है । बेरोजगारी की स्थिति दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है इससे बहुत असंतोष पैदा हो रहा है और मुझे लगता है कि इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा ।

इसके अलावा हमारी लोक सभा ने जो संसदीय समिति का गठन किया है, मैं भी उसका दो साल सदस्य रहा हूं, इस समिति ने जितने भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के डवलेपमेंट्स का वर्क हुआ है उसको फोलो अप करने के लिए मुझे लगता है कि यह एजेंसी बहुत उपयोगी साबित हुई है और इसके अलावा समाज कल्याण विभाग ने भी हर प्रांत को लिखा कि इसी के पैटर्न के ऊपर हर प्रान्त में विधायी समिति बननी चाहिए जिससे हरिजन आदिवासियों की जितनी भी एक्टीविटीज हैं उनकी देखभाल हो और उनको कार्यान्वित करें। लेकिन आज तक केवल केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान इन चार प्रान्तीय सरकारों ने ही विधायी समितियां बनाई हैं । इसलिए मेरा केन्द्र से निवेदन है कि वह दूसरे प्रान्तों को भी इसके लिए दबाव डालें ताकि वे इस प्रकार की समितियां बना कर हरिजन आदिवासियों के कल्याण-कार्य को आगे बढ़ाएं ।

इसके अलावा मैं भूमि समस्या के बारे में यह कहना चाहूंगा कि कमिश्नर की रिपोर्ट में सारे प्रान्तों के बारे में यह नतीजा निकाला गया है कि पूरे भारतवर्ष में करीब 37 लाख एकड़ जमीन सीलिंग एक्ट से निकलने वाली है । मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार यह प्रयास करेगी कि हरिजन और आदिवासी जो भूमिहीन हैं या जो खेतों में मजदूरी करते हैं उन लोगों में यह भूमि बांटी जाए । लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि कहीं सरकार पट्टे बांट देती है तो कब्जा नहीं मिलता है और अगर कब्जा मिल जाता है तो पट्टा नहीं मिलता। जब कोई हरिजन या आदिवासी सरकारी दफ्तरों में पट्टा मांगने के लिए जाता है तो सरकारी कर्मचारियों की तरफ से 500 रु० या 1000 रु० मांगे जाते हैं। इस तरह से उन लोगों को परेशान किया जाता है और

[श्री बलराम दास]

वे बेचारे निराश हो जाते हैं और निराश होने का परिणाम यह होता है कि वह जमीन उनको नहीं मिलती और किसी अन्य को मिल जाती है। इस तरह से वे चक्कर काटते रहते हैं। मैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का उदाहरण देना चाहूंगा। वहां पर हरिजन और आदिवासियों को जमीन दी गई, लेकिन कब्जा नहीं दिया गया। बाद में जब कमिश्नर का दौरा हुआ तो तब सारी स्थिति का पता चला और उनको कब्जा दिलाया जा सका। इसलिए, मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो अनियमितताएं हैं उनके बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं खेतिहर मजदूरों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जो हमारा मिनिमम वेजज ऐक्ट है वह सन् 1948 का है। उस वक्त से अब तक महंगाई चार गुना बढ़ गई है। लेकिन हम देखते हैं कि गांवों के अन्दर खेतिहर मजदूर को इतनी मजदूरी दी जाती है कि वे दोनों समय का पेट भर खाना भी नहीं खा सकते हैं। उनकी कोई ट्रेड यूनियन नहीं है जिससे कि वे किसी प्रकार की बारगेनिंग कर सकें। इस वजह से आप देखेंगे कि 40 और 50 परसेन्ट लोग जो गांवों में मेहनत करके अपना पसीना बहाते हैं उनको स्थिति बड़ी दयनीय है। इसलिए मेरा कहना यह है कि सरकार मिनिमम वेजेज एक्ट को रिवाइज करे। जब तक इसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा तब तक खेतिहर मजदूरों को राहत मिलने वाली नहीं है।

अन्त में मैं छुआछूत के बारे में कहना चाहता हूं और इस संबंध में मध्य प्रदेश के कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश हरिजन सेवक संघ ने सन् 1959 से 1969 तक 11 सालों में कुछ जिलों का सर्वे किया और उन्होंने बताया कि 3250 गांवों में 10 परसेन्ट मंदिर ही हरिजनों के लिए खुले हैं, 10 परसेन्ट नाइयों, धोबियों की सेवाएं उन्हें प्राप्त हैं और लगभग 35 परसेन्ट होटल और कुएं उनके लिए खोले गए हैं। इसके अलावा उनको और किसी प्रकार की कोई सुविधा छुआछूत की दृष्टि से नहीं है। मैं आपको तमिलनाडु सरकार का उदाहरण देना चाहता हूं। तमिलनाडु सरकार ने एक चलता-फिरता पुलिस दस्ता बनाया है जो हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों की देखरेख करता है। इस दस्ते ने जनवरी से मार्च, 1972 तक तीन महीनों में करीब 2423 मामलों की जांच की और 671 लोगों को दण्डित किया। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के चलते-फिरते दस्ते हर राज्य में स्थापित किए जाने चाहिएं ताकि हरिजनों और आदिवासियों को रोजमर्रा उन पर होने वाले अत्याचारों से बचाया जा सके। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की योजना हर राज्य में होनी चाहिए। अगर हम ऐसा कर सकेंगे तो छुआछूत से हरिजनों को राहत मिल सकेगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केरल सरकार ने अपने मंदिरों और मठों में एक-एक हरिजन पुजारी नियुक्त किया है। इस प्रकार की नकल यदि दूसरे प्रान्त भी क तो मैं समझता हूं कि काफी लोगों को आगे चल कर राहत मिल सकती है।

शराब के बारे में भी मैं यह कहूंगा कि अक्सर मैंने देखा है, मध्य प्रदेश के बारे में मुझे मालूम है कि जो शराब की दुकानें होती हैं, अक्सर हरिजन बस्तियों में या आदिवासी बस्तियों में रखी जाती हैं, उससे वहां का वातावरण बिगड़ता है और जैसा कि शराब के बारे में गांधी जी कहते थे, यदि मुझे एक दिन के लिए डिक्टेटर बना दिया जाए हिन्दुस्तान में तो सबसे पहला काम कोई मैं करूंगा तो पहले शराबबंदी का काम करूंगा, इसलिए मैं शासन से निवेदन करूंगा कि जहां तक हरिजन आदिवासियों का सवाल है उनको शराब के खतरे से बचाने की कोशिश करें।

आदिवासियों को भूमि दी जाती है लेकिन उनको लैंड डेवलपमेंट के लिए कोई इरिगेशन वगैरह का प्रोग्राम नहीं होता है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि जो गांवों में विद्युतीकरण का प्रोग्राम चलता है उसके अंतर्गत जो आदिवासी इलाके हैं, इंटीरियर और रिमोट प्लेसेज हैं, वहां भी उन आदिवासियों को सिचाई के लिए और मकानों में बिजली के लिए भी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए।

इसके अलावा मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि छुआछूत की चर्चा चलती है, जो हमारी वाल्यंटरी एजेन्सीज हैं, भारतवर्ष में, जैसे कि अखिल ... हरिजन सेवक संघ और आदिवासी सेवक संघ हैं, उनको सब मिला कर, मेरे खयाल से 30 लाख रु० की ग्रांट सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हर साल दी जाती है। मेरा यह कहना है कि जब करोड़ों रुपया उनके ऊपर खर्चा किया जाता है और इन वाल्यंटरी एजेंसीज को

हमने मान्यता दी है तो क्या न हम इस 30 लाख को बजाए एक करोड़ रु० इन एजेंसियों को दे क्योंकि जिस मिशनरी स्प्रिट से वे काम करते हैं, वह सरकारी कर्मचारियों में नहीं होती। सरकारी कर्मचारी यह देखेंगे कि 11 बजे का टाइम हमारा दफ्तर आने का है और 5 बजे दफ्तर छोड़ कर चले जाएंगे लेकिन वाल्यूटरी एजेन्सी के लोग यह नहीं देखते। आफिस टाइम हुआ है या नहीं हुआ है, वे दिन-रात काम में लगे रहते हैं। इसलिए मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि वाल्यूटरी एजेंसीज को ज्यादा बढ़ाए। इसके अलावा जो सहायता दें वह समय पर दें। मैंने तो यह देखा है कि अभी नवम्बर के महीने में कुछ वाल्यूटरी एजेन्सीज को फर्स्ट इंस्टालमेंट मिला है, यह बड़े दुख की बात है। अप्रैल के महीने में ही एक एड हाक ग्रांट दे देनी चाहिए ताकि वे काम सुचारु रूप से और सक्रिय रूप से कर पाएं। बस इतना ही कह कर मैं अपना भाषण, धन्यवाद देते हुए, समाप्त करता हूं।

श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आज यह बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हम लोगों के सामने है। इस समय मैं अनुसूचित और हरिजन वर्ग के ऊपर कितने अत्याचार, कितनी एट्रोसिटीज हुई है उसकी डीटेल्स में न जाकर केवल इतना कहना चाहता हूं कि जितना ब्रिटिश सरकार के जमाने में भी नहीं हुआ, उनके शासन में भी नहीं हुआ, वह आज 27 वर्ष हमारी आजादी के हो गए हैं उससे ज्यादा हो रहा है। हमारी सरकार तरह तरह की व्यवस्था शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइबस के लिये कर रही है तब भी यह देखा जाता है कि जितने अत्याचार इस स्वतंत्रता के बाद में हुए उतने पहले कभी इन अछूतों पर नहीं हुए। आज उनके प्रति कितनी रुचि है हम लोगों में, वह हमारे माननीय सदस्यों की जो एटेंडेंस है सदन के अंदर, उससे आप मालूम कर लें। आज से नहीं, तीन रोज से इस पर बहस हो रही है मगर तीनों रोज जो सदस्यों की यहां एटेंडेंस हैं उससे पता चलता है उन अछूतों के हित में हमें कितनी रुचि है कि हम उन के लिये कार्य करें। मैं डीटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय यहां बहुत कम दिया जाता है। (*Interruption*) मिनिस्टर साहब तो जो हाजिर है वह भी उसी में आ गए है। तो जितने भी उनके ऊपर अत्याचार हुए है वह सदस्यों ने भी कहा है और रिपोर्ट में भी आया है अभी हाल का थोड़ा सा जिक्र मैं कर देना चाहता हूं। अभी 6 मई, 1972 को 6 मजिस्ट्रेटों को रखा गया जिसमें से 3 को निकाल दिया गया। इन लोगों ने इम्तहान पास किया था, टैस्ट पास किया था, मगर उनका काम ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें निकाल दिया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमिशन में जो टैस्ट होता है उसमें एफिशियन्सी टैस्ट भी रखा गया है, वाइवावोसी का भी टैस्ट रखा गया है। इन्टरव्यू भी होता है और उसमें इतने नम्बर दिये जाते हैं कि ये लोग गिर जायें चाहे इनके नम्बर कितने अच्छे क्यों न हो और रिटन में चाहे इन्होंने कितना ही अच्छा क्यों न किया हो। जब भावना इस तरह की है, तो फिर यह चीज देखने की है कि यह समस्या किस तरह से देश में हल हो सकती है। इसलिये मैं आपके माध्यम से यह बतलाना चाहता हूं कि इसके बारे में क्या हिस्ट्री है। मैं इसके बारे में जो तवारीख है, वह बतलाना चाहता हूं। मैं आपको दो पीरियडों के बारे में बतलाना चाहता हूं एक तो बिफोर इंडिपेंडेंस और दूसरा आफ्टर इंडिपेंडेंस और इन दो पीरियडों में क्या हुआ और लोगों की क्या रुचि रही। बिफोर इंडिपेंडेंस आप देखेंगे कि हमारे यहां बड़े बड़े धार्मिक नेता जैसे जेसस क्राइस्ट, गुरु नानक और दूसरे बड़े बड़े लीडर हुए। लेकिन वाह रे, हिन्दू ब्राह्मणिज्म कि इन्हें भी अछूता नहीं छोड़ा। आपको यह बात सुनकर ताज्जुब होगा कि जिस तरह से हिन्दू धर्म में चार जातियां—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसी तरह से मुसलमान धर्म में भी इस तरह की जातियां बना दी गई हैं, सैय्यद, मुगल और पठान मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किसी भी दूसरे मुसलमान मुल्क में इस तरह का विभाजन इस जाति में नहीं है। हिन्दुज्म के असर ने इस जाति को भी अछूता नहीं छोड़ा। मुहम्मद साहब ने इन लोगों को जो शिक्षा दी थी वह यह थी कि हम प्याला और हम निवाला की ताकि हम एक साथ खा सके और एक ही दस्तरखान में खा सके लेकिन आज इन जातियों में क्या हालत है, यह बात सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं।

[श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया]

दूसरा नेता जेसस क्राइस्ट था जिसने इक्वैलटी सिख-लाने की कोशिश की । इस जाति में भी आपको देख कर ताज्जुब होगा कि मद्रास में जो शिड्यूल्डकास्ट क्रिश्चर्ट हैं, उनके लिये अलग गिरजाघर हैं और जो स्वर्ण हिन्दु हैं, उनका गिरजाघर अलग है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यही जेसस क्राइस्ट की तालीम थी ? वहां भी हिन्दुइज्म का इफल्युएन्स पहुंच गया । इसी तरह से सिख धर्म में भी गुरू नानक जी ने एकता और बराबरी की बात बतलाई है । लेकिन देखने में यह आता है कि जिस तरह से गांधी जी ने अछूतों को हरिजन का नाम दिया था, उसी तरह से सिखों में जो शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, उनको मजहबी सिख कहा जाता है । इसके माने यह हुए कि ये लोग कभी चूड़े चमार के खान्दान के होंगे । इसी तरह से जो बैकवर्ड सिख हैं, उनको रामदसिया सिख कहते हैं । इस तरह की भावना हमारे देश में है और इस तरह का विभाजन हमारे देश में जातियों का हुआ है और हमेश से आ रहा है । रबीदास, (रायदास) कबीर और बाल्मीकी, इन्होंने भी बराबरी का नारा लगाया था, लेकिन उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई । कबीर ने तो कहा है :—

> चूकस बामन हम कस सूद
> जो मैं होता बामन का जामा
> आन बाट से क्यों नहीं आता

यह बात उन्होंने कही लेकिन आज तक किसी ने इस बात पर अमल नहीं किया है । कहना तो यह है कि आपको यह देखना है कि मनोवृति चेन्ज नहीं होगी तब तक इस देश का सुधार नहीं हो सकता है । यही कारण है कि आज शिड्यूल्डकास्ट और बैकवर्ड लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है । मैं बैकवर्ड कमिशन का मेम्बर रह चुका हूं और इस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट लिखी गई है उसके सम्बन्ध में मैंने नोट आफ डिसेन्ट लिखा है और वह रिपोर्ट आज तक नहीं आई है ।

हमारे लिये मनुस्मृति में लिखा है कि हम पढ़ें तो कान में पिघला हुआ सीसा डाल दिया जाय, ब्राह्मण के लिये अपशब्द कहें तो जीभ काट दी जाय । अगर कोई ब्राह्मण किसी शूद्रानी से नाजायज प्रेम कर ले तो वह जुर्माना दे । अगर कोई शूद्र किसी ब्राह्मणी से प्रेम कर ले तो उसका लिंग काट दिया जाय उसे फूस में जला दिया जाय । इस तरह के कानून बने थे । जब ब्रिटिश सरकार आई तो ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले डिस्टिंक्शन आफ कास्ट एंड क्रीड एजूकेशन होगी ऐसा कहा । जब ब्रिटिश सरकार ने ऐसी घोषणा की तो हमारे दयानन्द साहब पैदा हो गए । मैं दावे से कहना चाहता हूं कि अगर दयानन्द जी पैदा न होते तो शायद हम लोग कहीं ऊंचे उठ जाते । उन्होंने तीन शब्दों से रिवोल्यूशन को ठंडा कर दिया । वे तीन शब्द थे गुण, कर्म, स्वभाव । उनका कहना था कि कोई शूद्र पैदाइश से नहीं होता, वह गुण, कर्म, स्वभाव से होता है । जो शूद्र पढ़ लिख गए उन्होंने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं । वे लोग रिवोल्यूशन ला सकते थे लेकिन चूंकि वे लोग यह समझने लगे कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, इसलिये शूद्रों के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ उससे उनको कोई मतलब नहीं रहा बल्कि वे भी उन्हीं की तरह कहने लगे । अपनी ही जाती का आदमी अपनी जाती वालों को शूद्र कहता था । अगर पढ़ा-लिखा शूद्र अपने को शूद्र समझता और मनु-स्मृति को पढ़ता तो जो काले कानून उसमें लिखे हुए हैं उनको पढ़कर उसका खून खौल जाता । मैं भी जब पढ़ता हूं तो मेरा खून खौल जाता है । कभी भी जब रिफार्म होता है तो एक न एक साहब ऐसे पैदा हो जाते हैं जो उस रिफार्म को होने नहीं देते । टाइम तो आप ज्यादा नहीं देंगे नहीं तो मैं इतना कहता . . . (*Interruption*) अगर आप ज्यादा टाइम नहीं देंगे तो मैं प्रोटेस्ट कर दूंगा ।

श्री राजनारायण : चौरसिया जो बैकवर्ड कमीशन के मैम्बर रह चुके हैं, उनको अवसर दिया जाय । वे हमारी पार्टी में रह चुके हैं, कांग्रेस के विरुद्ध लोक सभा का चुनाव लड़ चुके हैं, बाइ चान्स इस समय कांग्रेस में चले गये हैं ।

उपसभाध्यक्ष (**श्री जगदीश प्रसाद माथुर**) : वे सदन के नियम जानते हैं, इसलिए उसी के अनुसार चलेंगे ।

श्री राजनारायण : हमारा टाइम उनको दे दीजिए ।

उपसभाध्यक्ष : (**श्री जगदीश प्रसाद माथुर**) : आपका कोई समय नहीं है । उनका जो समय है वही मिलेगा ।

श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया : मैंने अंग्रेजों के टाइम के बारे में बताया। अंग्रेजों ने कुछ करना चाहा तो दयानन्द सरस्वती आ गए। मैंने आपको बता दिया कि अगर हम पढ़ते, सारी बात को समझते तो शायद रिवोल्यूशन बहुत जल्दी आ जाता।

श्रीमन्, 1917 में जब मैं पीड़ित हुआ तो मैंने आदि हिन्दू सभा बनाई। मैं तम्बोली जाति का हूं। लड़के स्कूल में मुझे चिढ़ाते थे–कोई भी बात हो–कि चौरसिया पान ज्यादा अच्छे लगा लेता है। मैं जवाब देता था कि पान तो लगाता हूं, मैं मुंह भी लाल कर देता हूं। मैं नटखट लड़का था, बर्दाश्त नहीं करता था। यह सब सुन कर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने अपने गुरू से कहा कि यह क्या है इस देश में कि हम एक जाति में पैदा हुए हैं इसलिए पढ़ नहीं सकते। मेरे गुरू स्वामी बोधानन्द स्वामी थे उन्होंने बताया कि इस देश पर आर्यन्स ने आक्रमण किया और जो यहां के असली बाशिन्दे थे उनको विजित करके उन पर शासन किया और इसलिए उनको उठने नहीं देना चाहते। तब मैंने 1917 में आदि हिन्दू सभा बनाई। इसके बाद 1919 में गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट आ गया: गवर्नमेंट आफ इंडिया का एक्ट क्यों आया इसके बारे में थोड़ा बता दूं। 1914 में जर्मन की लड़ाई हुई थी और उसमें इंडिया ने ब्रिटिश को मदद की थी तो ब्रिटिश ने अपने पार्लियामेंट में यह घोषणा की थी कि इंडिया को प्रोग्रेसव रियलाइजेशन आफ होम रूल दे देंगे और इसी तहत उन्होंने गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट 1919 बना दिया। कुछ उसमें म्यूनिसिपैलिटीज बना दीं, डिस्ट्रिक्ट बोर्डस बना दिये, कुछ काउंसिल बना दिये। कुछ रिफार्म्स हम को दिये गये। उन रिफार्म्स में एक लफ्ज उन्होंने फाइन किया 'डिप्रेस्ड क्लास'। ब्रिटिश सरकार इतनी शूड थी। उन्होंने देखा कि यहां एक ऐसी तादाद है जिसको शूद्र कहा जाता है जो कि वंचित रहेगी अगर पब्लिक वोटों में जाएगी तो बाई नामिनेशन इन सीटों पर उन को दिया। डिप्रेस्ड क्लास बनाया और उसको डिफाइन नहीं किया। केवल यह कहा—

"Whoever in the opinion of the Governor will be considered depressed classes will be nominated to the seats of depressed classes."

चुनाचें उसी तरह नामिनेशन हुए और उसके बाद 10 साल के लिए यह ऐक्ट बना। 10 साल बाद साइमन कमीशन आया। उस वक्त यह सब इंक्वायरी होनी थी कि किन किन जातियों को क्या क्या मिला है। उस वक्त गवर्नमेंट आफ इंडिया ने डिफाइन किया था कि गवर्नर की राय में जो डिप्रैस्ड क्लास होंगें वह नामजद होंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने सब डिप्रैस्ड क्लासेज को नामजद किया जिसमें बैकवर्ड और शूद्र आते हैं। हमने गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेन्ट किया कि बैकवर्ड क्लासेज करीब 75 परसेंट होती हैं। इनकी कभी कोई रायत नहीं मिलेंगे जब तक कि इनका इलैक्शन नहीं कर दिया जाए। सेपरेट इलैक्ट्रोरेट कर दिया जाए। अब हमारे हिन्दू भाइयों में बड़ी खलबली मच गई कि अगर 75 परसेंट निकल गये तो हम किसका शोषण करेंगे क्योंकि बाकी सीटों पर बड़े भाई साहब बैठे हैं। आप जानते हैं कि 1 लाख पर एक एम० एल० ए० होता है, 5 लाख पर एम० पी० होता है। तादाद गिना जाता है हमारी, मगर बैठते हैं पंडित जी महाराज, ठाकुर साहब, राजवंशी।

श्री राजनारायण : मैं आप को बता देना चाहता हूं कि मैं ठाकुर साहब नहीं हूं। मैं केवल राजनारायण हूं। कृपा करके आप ठाकुर, ब्राह्मण मत कहिए।

श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया : मैं तो आपको नहीं कह रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : राजनारायण जी, आपको नहीं कह रहे हैं।

श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया : आपने जो ब्राह्मणों का जिक्र किया है, जो हमारे ऊपर हावी है, उसको आपने सपोर्ट किया है। मैं तो आपका ऋणी हूं, मैं आपके ऊपर कोई अटैक नहीं

[श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया]

कर रहा हूं। इन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी असलियत को रखा।

श्री रबी राय (उड़ीसा) : ये बाल्मीकी परम्परा के हैं।

श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया : बीच में मेरा समय मत खराब कीजिए। (*Time bell rings*) आप इतनी जल्दी घंटी बजा देंगे तो अभी मैं कुछ भी नहीं कह पाया।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : आप अभी तक आदिकाल से अंग्रेज काल तक आये तो बड़ी मुश्किल हो जायेगी। आप जल्दी खत्म कीजिए।

श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया : इसलिए मैं यह कह रहा था कि 10 साल बाद जब साइमन कमीशन आया तो हमने उसमें रिप्रेजेन्ट किया, मैमोरेंडम दिया और इन बड़ी जातियों को यह हुआ कि हम शोषण कैसे करेंगे। चूंकि उस वक्त हमारे बैकवर्ड क्लासेज के लोग थे उस वक्त बैकवर्ड और शड्यूल्ट कास्ट का नाम नहीं था, उस समय सछूत और अछूत थे। उन्होंने सबको भड़काया कि तुम तो यादव हो, क्षत्री हो, तुम तो चौरसिया ब्राह्मण हो, तुम नाई ब्राह्मण हो, तुमको चौरसिया के साथ लिखता है। आपको यहां यकीन दिलाता हूं कि कोई ऐसा नहीं था जिसने दफा 500 का नोटिस नहीं दिया हो। उन्होंने कहा था कि आपने हमेशा अछूतों का साथ दिया है। एक लोथियन कमेटी थी उसमें भी गवाहियां दिलाई गई। उसमें हमें यादव बताया और कहा कि चौरसिया गलत लिखा है। एक ब्राह्मण नाई भी गवाही देने गया। और तो क्या मेरी जाति तक के लोगों ने मुझे नोटिस दिया। यह कहा गया कि चौरसिया ब्राह्मण है। इस तरह का वातावरण बनाया गया। मैं डा० अम्बेदकर साहब की बात बताता हूं। मैं उनके साथ पुराना काम करने वाला आदमी हूं शायद जब उन्होंने पदार्पण किया था 1929-30 में पालिटिकल फील्ड में। उससे पहले एक कान्फ्रेंस हुई थी नागपुर में। मैं उस वक्त यूथ कांग्रेस का प्रेजीडेंट था और डा० साहब रिपब्लिकन पार्टी के प्रेजीडेंट थे। उसमें टचेबल और अनटचेबल दोनों थे। जब कमीशन के सिलसिले में डा० साहब आए थे और जो लखनऊ में डिप्टी मिनिस्टर थे उन्होंने मुझे घर बुलाने को इतला भेजी। जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे खिलाफ लोगों ने एविडेंस दिया है। तुम्हारा मैमोरेंडम बहुत स्ट्रांग है लेकिन उसको मीट कैसे करोगे। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम आपको सप्लीमेंटरी विटनैस के तौर पर बुला लेते हैं उस समय आप यह डिक्लेयर करना कि शैड्यूल्ड कास्ट एक सैपेरेट एन्टीटी है। उस वक्त टचेबिलिटी और अनटचेबिलिटी का चक्कर था। मैंने कहा कि डा० साहब यह आयेन्स्ट नेशनलाईजेशन होगा। अभी तो चार वर्ण हैं और पांचवां वर्ण मुझ से बनवा लेना चाहते हैं। यह हिस्ट्री में जाएगा। मैंने कहा डा० साहब ऐसा नहीं होगा। डा० साहब कहा करते थे कि देखो इट इज ए ब्लंडर मिसटेक। जब इलैक्शन में बम्बई के एक आदमी को हराया मैंने तब उनकी आंखें खुली। कमीशन में जब गवाही देने आया था तो मैंने पूछा डा० साहब कैसे मिजाज हैं। तभी उन्होंने महसूस किया और यह रिपब्लिकन पार्टी मेरे ही कंस्टेशन से एग्जिसटेन्स में आई। डा० साहब ने यह तय कर लिया था कि मैं वकिंग कमेटी का प्रेजीडेन्ट रहूंगा। अगर वे जिन्दा रहते तो मैं वकिंग कमेटी का प्रेजीडेन्ट रहता।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : आप समाप्त करिए।

श्री राजनारायण : यह तो कम बोलते हैं।

श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया : मैं किसी चीज में नहीं बोलता हूं। सब दिन के बोलने का टाइम मुझे आज दे दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : आप सदा बोलिए।

श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया : मेरी बोली शायद अच्छी न लगे क्योंकि मैं कडुवा बोलता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : लेकिन नियम के अनुसार बोलिए। आप पांच मिनट में खत्म करिए।

श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया: कहने का मतलब यह है कि वहां भी हम लोगों को पनपने नहीं दिया गया ।

आफटर इंडीपेन्डेन्स क्या हुआ ? आफटर इंडीपेन्डेन्स देखिए जब पहले मिनिस्टरी बनी तो सब जगह ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर रखे गए । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यही डैमोक्रेसी है । आप देखेंगे कि जो एम्बेसडर अपाएन्ट हुए थे वे भी कास्ट हिन्दू से रखे गए । मेरे पास डिटेल नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता । मैं गलतबयानी भी नहीं करना चाहता । डेलिगेशन जितने बाहर गये हम लोगों में से कोई नहीं गया । आप गवर्नरों में देख लीजिए । आज तक कोई भी शेड्यूल कास्ट में से नहीं रखा गया । किस्मत से 27 साल के बाद और यह भी हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मेहरबानी से एक की नियुक्ति हुई है । और उसके बाद हम लोग कांसेम में आए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर): आप अब 1 मिनट में समाप्त कीजिये ।

श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया मैं आपका थोड़ा समय और लूंगा । अगर आप समझते हैं कि इस देश में इस प्रकार से इस समस्या का हल हो तो यह होने वाला नहीं है । आप हम लोगों को सुनना भी नहीं चाहते हैं । क्या इस तरह से इस देश में डेमोक्रेसी चलेगी ?

श्री एन० पी० चौधरी: आप इनको थोड़ा और समय दीजिये ।

श्री राजनारायण: इनको ज्यादा समय मिलना चाहिए । *(Interruption)*

श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया: मेरा निवेदन यह है कि मैं बिलकुल रिलेवेन्ट बातें कह रहा हूं । मैं आपको बताना चाहता हूं कि . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर): देखिये, आप 20 मिनट से भी ज्यादा समय ले चुके हैं । अब आप जल्दी समाप्त कीजिये ।

श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया: अगर आप मुझे नहीं बोलने देना चाहते हैं, तो मैं प्रोटेस्ट में बैठ जाता हूं ।

कुछ माननीय सदस्य: नहीं, नहीं, आप बोलिये ...
(Interruption)

श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया: मैं यह कहना चाहता हूं कि एक बैकवर्ड क्लासेज कमीशन बना था । मैं भी उसमें रहा था । काका साहेब कालेकर उसके अध्यक्ष थे । उसमें मैंने एक नोट आफ डिसेन्ट दिया था । यह नोट आफ डिसेन्ट बहुत लम्बा है, इसलिए मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन यह बताना चाहता हूं कि 27 वर्ष बीत जाने के बाद भी हरिजनों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है । फारेन एजूकेशन में हमारा कोई आदमी नहीं भेजा गया । बड़ी जातियों के लोग ही वहां भेजे गये । इस सिलसिले में मैं डा० अम्बेदकर का जिक्र करना चाहता हूं । उन्होंने भी उस कमीशन के सामने अपनी गवाही दी थी । उन्होंने कहा कि जब वे ब्रिटिश राज के जमाने में सन् 1942 में एग्जीक्यूटिव कौंसिलर थे तो उन्होंने इस बात की मांग की थी कि जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए तीन लाख रुपये दिये गये, हिन्दू यूनिवर्सिटी के लिए तीन लाख रुपये दिये गये तो हम अछूतों को क्या दिया गया ? इस मांग का नतीजा यह निकला कि अछूतों के लिए भी तीन लाख रुपये दे दिये गये । अब सवाल यह पैदा हुआ कि इनको खर्च किस प्रकार से किया जाय । किसी ने कहा कि फिमेल एजूकेशन पर खर्च किया जाय, किसी ने कहा कि स्कालरशिप दिये जायें । अन्त में,

he said to the Viceroy, "Your Excellency, don't you consider me better than a thousand graduates?" "Yes, I do", the Viceroy replied. He said, 'X>o you know the reason?" "I can't tt 11 you the reason, but 1 consider you are better than a thousand graduates," He said, "May 1 tell you the reason? Because I am...

इस प्रकार से जो यह तीन लाख रुपयों की राशि थी वह वहीं की वहीं पड़ी रही । फारेन एजूकेशन के लिए भी कुछ मांग की गई, लेकिन वह भी नहीं हो सकी । उस समय डा० सीताराम मिनिस्टर

[श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया]

होते थे। वे भी इस राशि का कुछ नहीं कर सके। अन्त में जब श्री राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने इसको एक ही कलम से काट दिया। तो आप देख लें, अगर इस तरह की मनोवृत्ति चलेगी तो कैसे काम चलेगा, कैसे काम होगा। इसके बरअक्स देख लीजिए...

(Time bell rings)

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर): अब आप बैठ जाइए, अपना स्थान लीजिए।

श्री राजनारायण: श्रीमन्, बड़ा अन्याय हो रहा है। मेरा निवेदन है उनको मौका दें।

श्री रबी राय: आप कन्क्लूड कर दें।

श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया: मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा सिर्फ प्रोटेस्ट इसमें लिख दिया जाए। आई विल सिट डाउन।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर): श्री मकवाना।

श्री राजनारायण: चौरसिया जी को मौका नहीं दे रहे हैं, मैं आपकी इस व्यवस्था के ऊपर वाकआउट करता हूं। एक आदमी इस महत्वपूर्ण विषय पर जिसका वह जानकार है बोलना चाहता है, उसको शटल डाउन किया जा रहा है। उनको मौका तो दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस की गंदगी को दूर करने के लिए एक हमारा आदमी वहां गया हुआ है, गंदगी को दूर करना चाहता है...

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर): और अपने आदमी भेज दीजिए, गंदगी साफ हो जाएगी।

श्री राजनारायण: श्री चौरसिया इंदिरा जी की गवर्नमेंट के पापाचार का भंडाफोड़ कर रहे हैं, उनको मौका दिया जाए नहीं तो हम जा रहे हैं...

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर): आप जाइए, आपको बाहर काम है आप जाइए।

श्री राजनारायण: बाहर काम नहीं है, मैं इसी प्रोटेस्ट में जा रहा हूं। चूंकि ये कांग्रेस सरकार का भण्डाफोड़ कर रहे हैं इसलिए श्रीमन् मेहता जी उन को मौका नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं जा रहा हूं।

(श्री राजनारायण सदन से उठ कर चले गये)

श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया: मुझे सिर्फ दो मिनट और दे दें।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर): मैंने श्री मकवाना का नाम पुकार लिया है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR) : I have called Mr. Makwana.

Yes, Mr. Makwana.

SHRl YOGENDRA MAKWANA (G,,ja-rat) : Mr. Vice-Chairman, Sir, [he Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has submitted the combined report for the ye'ars 1971-72 and 1972-73 as late as in'April 1974. This is because this important post was lying vacant [or 13 months, *i.e.* from July 1970 to July 1971. This is a very serious matter. Even at the time of submission of this report, the implementation part of the previous reports is not placed before the House. Without this part, it is very difficult to appreciate and evaluate the work done in this direction either by the Government or the various agencies. This is because either the Government is 'not very serious about this matter or the Department is slack in this discussion in both the Houses of Parliament direction. Every year this report is submitted before the President and there is 'a M<iny suggestions are given by various Members from all political parties but very few suggestions are either implemented er looked into and the condition of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes remains the same as it was previously.

Even after 26 years of Indenpendence we have to discuss about untouchabilii atrocities on Harijans. It is a matter of shame for us to do all that. This is only because there is no implementation and what is required to be done is not done properly. To me, if there is a three-point

programme of education, employment and economic upliftment of the Scheduled Caste communities, I think many problems can be solved. For this, first 1 would like to discuss the education part of it. Government gives scholarships for education to Scheduled Caste students but the scholarships which are given are rather very small and in these days of economic crisis it is very difficult for the students to continue iheir studies with such small amounts.

When there was a hue and cry outside Parliament <this was raised, but it was raised to a very negligible amount. Tn this connection I would like to quote the Commission's Report, para 2.52 at page 67:

"Considering the various facts mentioned above, it is suggested that it would be desirable to increase three times tlie current rates of the maintenance charges under the TJost-matric Scholarships scheme. In case this is not acceptable, at least there is a clear case to double the current rates of maintenance ch In this connection, it is also suggested that the proposed increase in rates should anply to the plan and non-plan portion of the expenditure incurred on the award of scholarships. Tf this is not done, the State Governments may not be prepared to shoulder the extra burden falling on them."

The Commission has recommended increasing the amount three times, but it is not even doubled. The Commission itself has stated in its Report that it is quite inadequate. Here I would like to rend para 2.53:

"The Government of India have since taken a decision to increase the rates of Post-matric Scholarships from the academic session 1974-75. However the quantum of the proposed increase is understood to be only 50 ner cent, which is considered quite inadequate."

This inadequate increase is also barred by some conditions which are laid down by the Social Welfare Department. Now. ihey have regulated the scheme of scholarships by regulations and they have put two conditions. These two conditions are a great hurdle in getting scholarships for the post-matric students. Condition 10 says that a student who is in full-time employment will not get the benefit of this scholarship scheme. Condition 11 says only two children, not more than two children, will get the benefit of the scheme. Now, Sir, I would like to discuss these two conditions,

because they are a great hurdle in getting scholarships. The majority of the Scheduled Castes and Schednled Tribes are landless labourers or n ginal farmers or poorly paid government servants. Only one member is earning in a family and the earning is alwajB tlian Rs. 200 per month. If the scholarship is not given to the poor student, how can he continue his studies? The poor people have, a large family and in every Scheduled Caste or Scheduled Tribe there are not less than ten members. If on the basis of this condition, the scholarship is not given to the student. it is difficult for him to continue his studies.

Now, the second condition is quite deterimental. It says only two children will ; .t the benefit. Suppose there are two brothers and the elder one has expired—leaving behind four children. The younger brother becomes their guardian. The children cf the elder brother naturally get the benefit of the scheme. When the children of the younger brother come of age up to the college level, they may not get the ber because two wards of the guardian hr.ie already received the scholarship.

3 P.M.

These are the conditions under which the benefit of this scholarship will be given to the members of the Scheduled Castes. So, the conditions are framed in such a way just to debar them from getting the benefit. Whatever the Government is trying s is debarred by these bureaucra ne these conditions and rules. So. 1 would request the Minister to kindly look I into these regulations and see that in fact

[Shri Yogendra Makwana.]

these conditions are removed from the regulations. Otherwise, it has no meaning Definitely, it is giving by one hand and taking away by the other hand. It is nol giving also. It is only showing that here is a thing for you and if you get, they will take i! away. This is like it. The benefit of the scholarship is not given at all.

4

SHRI N. G. GORAY (Maharashtra)' I am not convinced by your argument. He gets scholarship for two children. Let him have some family planning also.

St^Rl B. RACHA1AH (Karnataka): Why should he suffer?

SHRI YOGENDRA MAKWANA : Even if he observes family planning, according to the present family planning, he is entitled to have three children. Both have six children. So, the elder brother's two children when they go to college will get the benefit, the three children of the poor younger brother will not get any benefit. Even according to you, if family planning is observed they will not get the benefit of the scholarship. So, this is nothing.

SHRI OM MEHTA : If he does not get more than two, then?

SHRl YOGENDRA MAKWANA: 1 am talking about the guardian who is having the wards of his younger brother who will not get any benefit. These conditio'.is are required to be either revised or dropped from the regulations.

Over and above these scholarships, unless these ashramshalas and hostels are provided for the scattered population of the Schednled Tribes, it is very difficult for them to receive education. Even for the Scheduled Castes, the ashramshalas are very useful, and the Commissioner himself has stated in the Report at page 57 that they are quite inadequate. In most parts of the country these ashramshalas are quite' inadequate. I do not like to quote because the table is very big. If I go on quoting, then you will give me less time. But I will only mention that in paragraphs 2.15 and 2.14, 2.15 and 2.16 on pages 58 and 59 the tables are given from where it can be seen that these hostels and the chhatrashalas for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are also inadequate. I would definitely request the Government to increase these.

But at the same time, I would like to make one important suggestion about these hostels and "Ashrams". At present, many of these institutions are run by private individuals. Some of them have taken it up as a matter of business. So many persons in the name of serving the Scheduled Castes and in the name of serving the tribal people have started these "Chhatralayas" and hostels as a matter of business, and they make profit out ofjt. According to the rules and regulations, a menu is fixed for the week or foi the month, but they never provide food according to the menu prescribed. They give something else to the students. Students are required to work at the master's house as servants. Most of the family members of the hostel management enjoy the facilities of these "chhatralayas" and hostels. So, these should be taken away from private hands and given to voluntary agencies like Harijan Sevak Sangh or any other institution which is a registered institution and has a regular body to look alter them. In my State in 1958 and 1959 and even in 1960 there were some committees which enquired into the matter of hostels, and it Was found that the food which was given to the inmates was in-adequate and the quality also was very inferior. It was never according to the menu. In some hostels, the students were not given food for two days or three days in a week. In one hostel, it so happened that when we visited, the students had been hungry for the previous three days. The, Committee gave some money and some sweets were purchased from the market and given to the students. That is the condition in privately run hostels. So T would request that these hostels, "chhatralayas" nnd "ashrams" should be taken away from private hands and given to some agencies which can look after the students properly. If that

is not also adequate, there should be some popular committees at the district level or at the State level formed out of social workers from different political parties, and they should be required to make surprise visits to these hostels and look into the affairs of these hostels. Then alone can we improve these hostels. *(Time bell rings)* Sir, 1 have just started and you ring the bell.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRl JAGDISH PRASAD MATHUR): You have taken 15 minutes.

SHRI YOGENDRA MAKWANA : I am now coming to the employment part of it. The representation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Central Government services is quite inadequate. I v?. uld like to quote from para 3.35 on page 89 of the Report where the percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Central Government services is given.

	Percentage	
	Scheduled Castes	Scheduled Tribes
	1-1-1970	
Class I	2.34	0.40
Class II	3.84	0.39
Class III	9.27	1.47
	1-1-1971	
Class I	2.58	0.41
Class II	4.06	0.43
Class III	9.59	1.70
	1-1-1972	
Class I	3.34	0.5
Class II	3.66	0.46
Class III	9.94	1.64

Sir. these statistics show that they are quite inadequate, in fact, negligible. So far as the tribal people are concerned, the percentage is 0.40. This shows that the reservation in services is nowhere maintained. It is not only not maintained, but it is totally neglected.

' The Commission has rightly suggested that unless there is 50 per cent recruitment reserved for these communities, it will not be possible to fill in this percentage. It says:

> ".... it was suggested that in order to wipe out the deficiency in the representation of these communities in Central Government services, maximum permissible number of vancancies, *i.e.* up to 50 per cent of those filled during a year, should, be reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, instead of 22.50 per cent as at present. Information regarding action taken or proposed to be taken, on this recommendation by the Department of Personnel and Administrative Reforms has been received in this office. It is reiterated that this, as well as other recommendations made in that Report, which *inter alia* include extension of reservation orders to cover easvs of piomotion by selection in, and to. Class II and Class I posts should be accepted by the Government of India immediately."

Sir, this is the positon at present. *(Time-bell rings)* I am confining myself to the Report.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR) * That is all right, but you will have to confine to the time.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: 1 am only discussing the Report. Many Members here . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR) : You have taken 20 minutes. That is enough.

SHRl YOGENDRA MAKWANA : I have just started.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR): Then you will lake one hour. You have already taken 20 minutes.

SHRI MAOSOOD ALI KHAN: Please give- him another 20 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR) : No, no. PLi.ise conclude, Mr. Makwana.

SHRl YOGENDRA MAKWANA: So, this percentage is not maintained. The Government has prescribed a roster for lining this percentage. But that roster so not observed, not maintained by many of the departments. It is my personal experience that in many departments, they do not maintain this roster. Even the post of Liaison Officer is there, but it is a decorative post; the Liaison Officer works in the interest of the Scheduled and Scheduled Tribes. If I may quote my personal experience of the Income-tax Department in Ahmedabad, the :! Officer is himself biased against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. He never wanted them to come up. On the contrary, he denies them promotion. So many officers who are due for promotion are not promoted for one reason or the other. In many departments, they give promotion on an *ad-hoc* basis. Now this promotion is such a matter tha*. one cannot represent against it. In *ad-hoc* promotions, there is no reservation. So they give *ad-hoc* promotions. This way they avoid the orders issued by the Minis-of Home Affairs and by the Government of India. Unless t.his is checked, it is not possible to bring up the percentage of Scheduled Castes people in Government services.

So far as the economic upliftment of heduled Castes is concerned, 1 would like to say that a majority of them are landless labourers. Unless land is given to them, their economic condition will not be improved. Some laws are enacted by the Stat? Governments in this regard. In my own State, two very good pieces of legislation have been enacted. One is the Land Ceiling Act and the other is the Tenancy Act. But the benefit of these measures lever reached the Scheduled Castes because the rich peasantry in the villages has grabbed almost all the land and the majority of the Scheduled Castes people are deprived of their right of getting benefit of these lands.

Toming to Panchayat Raj ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR) : Please do not take up new subjects.

SHRI YOGENDRA MAKWANA : I have many things to say . I have not, for instance, touched upon the problem of untouchability, and many other things. If you prevent me from speaking, I will conclude. In conclusion, I would say that untouchability is a great stigma on our nation and unless il is removed, the condition of Scheduled Castes will not be improved. It is not only a problem of law and order. It is also a problem of education and propaganda. One Shri Dinanath Tavkar had written a very good article in the Times of India of 29th July.. With a quotatiofi from that, I will stop. In this article he has impressed upon the authorities that this requires propaganda and education of the public. He says :

'"The fact is that most Indians are conservatives, the difference being that of degree and quality only. The conservatism of those who perpetrate atrocities on Harijans or other minorities maybe crude and vulgar; that of the people who expose the revival of ancient language, culture and customs is refined. So, we find that All India Radio has enough time and money for Sanskrit bulletins, and plays innumerable bhajans and Kirt.ins. Vast sums are spent by governmental agencies on kumbhamelas and all sorts of religious worships. But not even a fraction of it is spent on teaching and inculcating among the people a scientific attitude, rational thinking, humane behaviour, the spirit of tolerance nnd respect for the rights of others. These ideas do not have a due place in the school and college curricula. Most people get enraged when someone refuses to sing Vande Mataram, but few arc moved at all when they hear about the inhuman treatment meted out In Harijans and Adivasis. Conservatism has made our ideas of priority topsy-turvy . .-."•

THE VTCE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR) : I am now calling Shri Bhardwaj.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: With these words, I conclude. Thank you.

SHRI JAGAN NATH BHARDWAJ (Himachal Pradesh) : Mr. Vice-Chairman, firstly dealing with the report, I ^vould say that the report has thrown much light en the problem. It is more of a descriptive nature, rather than implementation-oriented. The way in which things have been described in this report just creates a sort of bitterness among the other classes in the society. This is an administrative matter *i* am surprised why such things should have been described so colourfully in the report. I would say that the report should be brief, implementation-oriented and suggestive in nature. And, Sir, it should be placed before the Parliament every year, at the most within six months from the end of a particular year. For example, the report for the year 1973-74 should have been out by the 31st October, this year and discussed in the Parliament. No matter whether the States send the report or not, whatever is available should be included in the report immediately after the close of the year.

Sir, I have very carefully heard most of the speeches delivered here on this problem and to me it appears, as the Urdu saying goes, trtsr srscTT W ^j ^^r^r i the more the Government is seized of this matter, the greater the complications that come up. What is the reason for this ? I think the way in whicfi we try to tackle this problem is somethink which requires deep thinking over it. We talk of secularism. But what is happening actually ? As some honourable Member has rightly said, what happens here gives encouragement to the rising of new class. We say that ours should be a classless society. But the way in which things are drifting shows that the society is becoming clearly and obviously a two-class society. It has been said that the Hindus are doiig this and thai and that the Harijans are doing this and that. This means that bitterness is growing in this society and a sort of barrier is being built up between the Harijans nnd the non-Harijans. So .. .

AN HON. MEMBER : By whom ?

SHRI JAGAN NATH BHARDWAJ : I am not blaming anybody. I am only trying to analyse the problem.

SHRi O. P. TYAGI : It is the Congress party.

SHRI JAGAN NATH BHARDWAJ : What I mean to say is that this problem is a complex problem arfd this problem is more of a social nature and it should be dealt with in that way only. I am all for the welfare and upliftment of the Harijans and for tht/ raising of the standard of living of the Harijans and 1 think that there should be a proper approach to the prob-leiii. This is what I mean to say. This pi "Mem is more of a social nature than of an economic nature. So far as ihe Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned, this problem seems to me to be more of a social nature than of an economic or arthik' nature. There are other sections or classes in the society which are feeling disturbed over this that the Harijans are being given everything and there are also other people in the society who claim equality with others. So, a sort of hatied is growing in the society now. So, I say that the economic aspect of this problem should be tackled in a different way and should be separated from the social aspect of the problem. Some of my friends just now said that there should be more and more social organisations to tackle this problem. The Harijan Seva Sanghs and other such associations should" be thoroughly reoriented and they should be asked to do this work properly and they should be encouraged if they come up on sound and scientific lines and some other ways of tackling his problem should be thought of. For example. Mr. Makwana suggested that there should be

j|Shri Jagan Nath Bhardwaj] seme voluntary agencies at the district level. In this connection, I would suggest that at the State 'level there should be a Harijan Welfare Board and it should be a statutory body and it should be vested with full powers to look after the welfare of the Harijans in a way which does nol create any hatred in any section of ihe society. It means that the social aspect of the problem should be tackled in this manner through voluntary organisations and also with the help of the Government and if funds are to be spent, more und more funds should be spent-on this type of work so that the Harijans are brought nearer the caste Hindus and other progress-sive communities, t

Then, Sir, I would like to suggest that there should be inter-caste marriages to bring the Harijans nearer the caste Hindus.

SHRI N. H. KUMBHARE : How to bring about that ? Who will take thi? initiative ?

SHRI JAGAN NATH BHARDWAJ : We the Members of Parliament, instead of making speeches here, should go to these people and work for the welfare of Harijans. If we do that, this can be brought about. After all, we are all brothers and we cannot afford to be separate and we cannot afford to live apart and we cannot afford to live in a state of mutual bitterness. We have *to* think in terms *of* mutual love and mutual understanding, which arc the basis of democratic working. . .

SHRI N. H. KUMBHARE : Why should not an MP, who has got a son, get him married to a Harijan girl, or if he has got a daughter, get her married to a Harijan boy ? . . .

SHRl JAGAN NATH BHARDWAJ : 1 am not against that. We should build an atmosphere that is congenial to this type of thinking as my friend has said. We will have to make efforts. But there ' should be some incentives for inter-caste marriages . . .

SHRl O. P. TYAGI : From the Government side . . .

SHRI JAGAN NATH BHARDWAJ : Socially. Supposing there is a Harijan girl you should build an organisation for her marriage with a Brahmin boy, or *vice-versa.* People will come forward. There should be an incentive. It is not only the Government \ nich can do something: it is we who can do something. You can also do something. Everybody can do something. What 1 mean to say is, we have to make a shift in the way in which the problem is being tackled, and do it in two parts, social aspect and economic aspect, so that no bitterness is created in the society but there is an atmosphere of love . . .

SHRl N. H. KUMBHARE: These days, boys and girls marry for love, not for in-centives . . .

(Interruption)

SHRI JAGAN NATH BHARDWAJ : What I mean to say is that we have to live together and we have to build up our democracy. We have to kill the hatred. We have to kill the mutual bitterness. We have to create an atmosphere of love, if not between boys and girls, between men and men. as my friend stilted . . *(Interruptions)* 1 am not against giving any help to the Harijans. But we should go more and more into the depth of this problem and try to do something to solve it in a better wav.

श्री कल्याण चन्द्र (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे टाइम दिया—मैं पहले प्रस्ताव गया हुआ था. . .

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : इसलिए कम समय लेना ।

श्री कल्याण चन्द्र : 71-72 और 72-73 की शैड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर हम बहस कर रहे हैं । तीन-चार रोज से हमारे सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने उस पर अपने विचार रखे हैं और हमारी समस्याओं पर प्रकाश डाला है ।

मान्यवर, मैं आपको सन् '32 के पहले ले जाना चाहता हूं जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने अछूतों के संबंध में आवाज उठाई। मनुष्य होते हुए जो हमारे साथ जानवर जैसा व्यवहार हो रहा था उसके संबंध में उन्होंने आवाज उठाई और हमारी समस्याओं पर प्रकाश डाला। 1932 में वे राउन्ड टेबिल कान्फेंस में गए—उस समय 35 का एक्ट बन रहा था—और वहां जाकर सारी समस्याओं पर प्रकाश डाला और कहा कि हरिजनों के लिए सैपरेट इलैक्टोरेट होनी चाहिए। सैक्रेटरी आफ स्टेट मैकडौनाल्ड ने सैपरेट इलैक्टोरेट को मान भी लिया। वह अछूतों के लिए हानिकारक होती या लाभकर वह बहस का प्रश्न है, लेकिन वहां महात्मा गांधी भी थे और महात्मा गांधी जी ने जब यह देखा कि इतने करोड़ सताए हुए लोग हिन्दु धर्म से अलग हो जाएंगे तो उन्हें पसन्द नहीं आया। उन्होंने अनशन किया और अनशन करने के बाद यह विश्वास दिलाया डा० बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर को कि जो हमारे साथ अमानुषिक व्यवहार किया जाता है उसको दूर कराने की ओर वे विशेष ध्यान देंगे। डा० अम्बेडकर हमारे अच्छे वकील थे लेकिन महात्मा गांधी अच्छे जज थे और उन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया और अछूतों को, जिन्हें तरह-तरह के नाम दिए जाते थे, हरिजन की उपाधि देकर, भरोसा दिलाया। महात्मा गांधी ने हरिजनों की समस्यायें जनता के सामने रखीं और दिल्ली में पंचकुइयां रोड पर वाल्मीकि मन्दिर में वह बैठे और मेहतरों के बीच में रहकर उन्होंने हरिजनों में एक नया जागरण, नई जागृति पैदा करने की चेष्टा की।

मान्यवर, इससे बड़ा साहस बड़ा हरिजनों का। उसके बाद हमारे मुल्क का विधान बना। उसमें हमें कुछ गारंटियां भी दी गईं। हमारी शिक्षा और तरक्की के लिए आश्वासन दिये गये। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कांग्रेसी गवर्नमेंट को कि उन्होंने जो विधान बनाना चाहा तो विधान बनाने के लिए डा० बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भी चुना। हमें उसमें कुछ संरक्षण मिले, उसमें कुछ व्यवस्थायें की गईं, कुछ वायदे किये गये और इत्तिफाक की बात है कि हिन्दुस्तान को आजादी के बाद मुल्क में कांग्रेसी गवर्नमेंट बनी, उनने इस ओर विशेष रूप से तवज्जह दी। यह बात कहना गलत है कि हमारी तरफ कांग्रेसी गवर्नमैंट ने तवज्जह नहीं दी। जो सदियों से हम शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते थे, डा० अम्बेदकर की वकालत से हम शिक्षा की ओर अग्रसर हुए। आज हमारे देश में शिक्षा की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। हमारे हरिजनों में भी बहुत से ऐसे तबके हैं, मेहतर हैं, धोबी हैं, जिनको बड़ी खराब दृष्टि से आज भी देखा जाता है और पहले भी बुरी दृष्टि से देखा जाता था। महात्मा गांधी ने मेहतरों की बस्ती में रहकर लाट साहब वगैरह भी आये तो उनसे वहां बात की। उन्होंने देखा कि हमारी क्या दशा है। वहां पर महात्मा गांधी ने पूजा की। आज भी उनके ऊपर हरिजनों की बड़ी आस्था है। सारे हरिजनों की आज भी कांग्रेस पर बड़ी आस्था है और कांग्रेस की हरिजनों पर आस्था है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब हम शिक्षा में आगे बढ़ने लगे, जब हमारी कांशियसनेस जागी, हम जागृत होने लगे, हमको शिक्षा मिलने लगी, सरकार ने जो वायदे हमसे किये, इसमें कोई शक नहीं है कि वह पूरे किये जा रहे हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इस ओर उदासीन है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्रीमती इंदिरा गांधी को कि पहली मर्तबा उन्होंने केन्द्रीय सरकार में बूटा सिंह जो स्वीपर हैं उनको अपने मंत्रिमंडल में लेकर हरिजनों की बड़ी आस्था बढ़ाई है। उन गरीबों की, उन पिछड़े हुए लोगों की आस्था बढ़ाई है जिनको आज तक कोई पूछता नहीं था। इससे पता चलता है कि कांग्रेस गर्वनमेंट हमारी मदद करना चाहती है। लेकिन इस रिपोर्ट से पता चलता है कि आज भी यह रिपोर्ट जिस पर हम आज बहस कर रहे हैं, जगह-जगह हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। इसमें कहा गया है कि हरिजनों को छात्रावासों में मेज और कुर्सी नहीं दी जाती। एक चारपाई पर दो दो विद्यार्थी सोते हैं बड़े शर्म की बात है कि जहां करोड़ों का बजट होता है वहां पर हरिजनों के साथ यह दुर्व्यवहार हो रहा है। जो लोग शिक्षा पा रहे हैं

[श्री कल्याण चन्द]

उनके लिए होस्टलों की कमी है हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत से आश्रम टाइप के स्कूल खोले हैं और वह स्कूल आन्ध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं और कहीं नहीं पर नहीं हैं । लेकिन इनसे लाभ उठाने के पश्चात् भी बहुत से भंगी भाई उनसे ठीक से फायदा नहीं उठा रहे हैं । सरकार को ठीक से उस ओर ध्यान देना चाहिए । मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आयुक्त है, हर प्रांत में उसका एक डिप्टी कमिश्नर होना चाहिये जो अपने-अपने प्रान्त को देखे और उसकी रिपोर्ट प्रान्तीय सरकारों को दे तथा केन्द्रीय सरकार को भी दे । यह दो वर्ष की रिपोर्ट आई है । इसका बहुत से माननीय सदस्य विस्तार से अध्ययन नहीं कर सकते । इसलिए अगर हर प्रान्त में डिप्टी कमिश्नर हो, उसकी रिपोर्ट सालाना मिलती रहेगी तो प्रान्तीय सरकार उससे अवगत होती रहेगी और हमारी केन्द्रीय सरकार भी उससे अवगत होती रहेगी ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी: उसको पावर होगी ?

श्री कल्याण चन्द: मान्यवर, मुझे खेद है कि जनसंघ के सदस्य बड़ी जोर से बोलते हैं । हमारे देश में छुआछूत की समस्या है । बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हमारे मामलों में बड़ी जोर जोर से चिल्लाकर रोती हैं, हमारे लिए बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन जब मैं देखता हूं कि सामने की बेंच खाली पड़ी है तो ऐसा मालूम होता है कि छुआछूत का देहान्त हो गया, शायद उसकी अर्थी में शरीक होने के लिए माननीय सदस्य अपोजिशन के गये हुए हैं जो हमारी समस्याओं को सुनने के लिए भी उपस्थित नहीं है । अगर जनसंघ ने हिंदू धर्म का नारा दिया और मुसलमानों के भारतीयकरण की बात की, अगर वह इस बात को कहते कि अपने कुओं पर अछूतों का पानी भरने देंगे तो मैं समझता हूं कि उनका उद्धार हो गया होता । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों और आदिवासियों की समस्या को हल करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे । जब तक ठोस कदम नहीं उठाये जाएंगे तब तक हमारी तरक्की या उन्नति नहीं हो सकती है । मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमने सफाई कर्मचारियों की स्थिति में सुधार करने के लिए वे कदम नहीं उठाये, जो उठाने चाहिये थे । दिल्ली में एन० डी० एम० सी० में पहले एक मेम्बर बाल्मीक हरिजन होता था, लेकिन अब वह भी नहीं है । इस साल श्री ओम मेहता जी आए हैं और वे एक ठंडे दिमाग के व्यक्ति हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि वे इस समस्या पर ठंडे दिमाग से विचार करेंगे । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में सफाई कर्मचारी की स्थिति बड़ी खराब है । सफाई-कर्मचारियों की एक संस्था अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस नाम की है जिसकी 13–14 राज्यों में शाखाएं हैं और उसके प्रेजीडेन्ट चाहते हैं कि वे कुछ प्रान्तों में जाकर सफाई कर्मचारियों की स्थिति को स्वयं देख सकें । लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि रेलवे मंत्रालय ने इस संबंध में उनको कोई रियायत नहीं दी है । इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो सफाई कर्मचारी हैं और जो पिछड़ा हुआ तबका है उसकी स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार तत्काल कदम उठाये । इलाहाबाद में इन लोगों का एक आल इंडिया बाल्मीकी नवयुवक संघ है और श्री बद्रीप्रसाद उसके प्रेजीडेन्ट हैं । उन्होंने सरकार से कई दफा आर्थिक सहायता की मांग की है । लेकिन अभी तक सहायता नहीं दी गई है । इसलिए मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर आप उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो उनकी संस्थाओं की जो डिमान्ड है उसके ऊपर विशेष ध्यान दीजिए ।

इसके साथ-साथ मैं यह बात भी कहना चाहता हूं कि आयुक्त महोदय ने इस बात को कहा है कि सेन्ट्रल और सैनिक स्कूलों में हरिजनों का कोटा पूरा नहीं हो रहा है । मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सैनिक और सेन्ट्रल स्कूलों में जो सफाई कर्मचारी हैं या दूसरे जो इस प्रकार के कर्मचारी हैं उनके बच्चों को भी नहीं लिया जाता है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अन्य स्कूलों में इन लोगों को संरक्षण प्राप्त है, उसी प्रकार से इन स्कूलों में इन लोगों को संरक्षण प्राप्त होना चाहिए । मान्यवर, मैं एक बात यह भी कहना

चाहता हूं कि हमारे देश में जो धोबी हैं, उनको किसी-किसी राज्य में तो शेड्यूड कास्ट में माना जाता है, लेकिन बहुत से राज्यों में शेड्यूड कास्ट नहीं माना जाता है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में धोबी शेड्यूल्ड कास्ट में माने जाते हैं, लेकिन पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में धोबियों को शेड्यूल्ड कास्ट में नहीं माना जाता है। कई राज्यों में उनको पिछड़ी जातियों में तो माना गया है, लेकिन कई राज्यों में यह भी नहीं माना गया है। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सभी राज्यों में इनको शेड्यूल्ड कास्ट में माना जाय ताकि वे लोग भी आगे बढ़ सकें। मैं समझता हूं कि कमिश्नर महोदय का ध्यान भी इस समस्या की तरफ नहीं गया है। अगर धोबियों को यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी तो समाज में बिछड़ जाएंगे।

जहां तक इस रिपोर्ट का ताल्लुक है, मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि माननीय मंत्री जी ने इस बात का विश्वास दिलाया था कि हरिजनों को पैट्रोल पम्पों के वितरण में 25 परसेन्ट का कोटा दिया जाएगा। यह बात संसद में कई बार कही गई है। माननीय रेल मंत्री ने कहा हरिजनों को केटरिंग में और साइकिलों के जो ऐसे काम हैं जो वह कर सकते हैं स्थान दिया जाएगा। लेकिन तवज्जह नहीं दी गई।

"इन दिनों आपके इकरार बदल जाते हैं मुंह से कहकर मेरी सरकार बदल जाते हैं"

तो मान्यवर, यह सवाल सामाजिक सवाल है जैसा हमारे मित्रों ने कहा। लेकिन आर्थिक सवाल भी है और आर्थिक उन्नति की जो स्थिति है श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसको समझा है। मुझे तो बड़ी खुशी है कि इंदिरा गांधी जी ने हमारा डिपार्टमेंट जो हरिजनों की देखभाल करता है उसे गृह मंत्रालय में दे दिया है और बड़ी खुशी होती है कि गृह मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री रेड्डी साहब जी हैं, मैंने सुना है, ठाकुर हैं और हमारे ओम मेहता जी हैं, जो आप जानते हैं ब्राह्मण हैं और ठंडी जगह के रहने वाले हैं और यह भी बड़ी खुशी की बात है कि मोहसिन साहब एक बड़े मजहब से ताल्लुक रखते हैं जो हुजूरे कायनात मोहम्मद सले अल्लाह सलम के मशावात के दर्जे के कायल हैं। इन सब पर हमें बहुत बड़ा भरोसा है। इंदिरा गांधी जी ने जब कभी मौका हुआ है हरिजनों की समस्या पर ध्यान दिया है। उनसे हरिजनों को बहुत बड़ी आशा बंधती है। मगर मैं समझता हूं, आगे बैठने वाले बन्च के लोग चिल्लाते रहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, चिल्लाने से पहले अपने दिलों पर हाथ रखें उन्होंने हरिजनों के लिए क्या किया? यह छुआछूत की समस्या हमारे लिए बड़ी शर्मनाक समस्या है। आडवाणी साहब जनसंघ के अध्यक्ष हैं और राज्य सभा के मेम्बर हैं, उन्होंने कभी अपने मंच से छुआछूत को तोड़ने की मांग की? क्या उन्होंने कहा कि हरिजनों को कुंओं से पानी लेने में छुआछूत नहीं बरती जाए? अगर वे हरिजनों की मांग लेकर खड़े होते तो उनकी पार्टी को आल इंडिया पार्टी की चमक आ जाती।

श्री रवी राय: उपसभाध्यक्ष महोदय, विमा रेड्डी जो उनकी पार्टी के हैं और मंत्री रह चुके हैं आन्ध्र प्रदेश के, माननीय सदस्य खुद जानते हैं हरिजनों के बारे में क्या-क्या अपशब्द उन्होंने कहे थे। पार्लियामेंट में बहस भी हो गई। यह उनको मालूम होना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री **जगदीश प्रसाद माथुर**): अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री कल्याण चन्द: मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा को। उन्होंने जो काम किया उससे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट सबक ले और दूसरे प्रान्तों में बसने वाले हरिजनों के लिए भी वही कानून लागू करे। अगर किसी हरिजन को कभी 100 रु० कर्जा दिया है तो वह कर्जा बाप से लड़के पर, और लड़के के लड़के पर चला आता था फिर वही 100 रु० किसी महाजन या जमींदार में चला आ रहा था। माननीय बहुगुणा ने अभी हाल अध्यादेश जारी करके उन कर्जों को समाप्त कराया है जिससे पहले के सारे दस्तावेज खत्म कर दिए। तो मैं मंत्री जी से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि अपनी तरफ से ये निर्देश सारे प्रान्तों के मुख्य मंत्रियों को होने

[श्री कल्याण चन्द]

चाहिए कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हुआ है और ऐसा करके हम हरिजनों की आर्थिक कठिनाई को दूर कर सकते है ।

इसके अलावा मैं धन्यवाद देता हूं श्री बहुगुणा को कि उन्होंने 45 फी सदी हरिजनों का संरक्षण मंजूर किया है, जिससे पुलिस में हमारे हरिजन लोग जा रहे हैं । सफाई कर्मचारियों पर भी वह विशेष ध्यान दे रहे हैं। रेलवेज में एक जी० ओ० है, जो पढ़ा लिखा सफाई कर्मचारी वर्ग है या हरिजन है उसे बतौर क्लर्क की नौकरी दी जाए, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है हमारे अधिकारीगण उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं । बहुत से पढ़े-लिखे हरिजन लड़के है जो आदर्वी, दसवीं दरजे तक पढ़े हैं और सफाई कर्मचारी हैं । मैं प्रार्थना करूंगा उनके ऊपर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए, जिससे कि वे सफाई कर्मचारी जो निम्न तबके से आते हैं जो सबसे पिछड़ा तबका है वह भी आगे बढ़ सके । मान्यवर, यह अछूतों और हरिजनों से सम्बन्धित नहीं है, यह देश की समस्या है, मौलिक समस्या है, और जिसकी वजह से दुनिया के तमाम मुल्क हमारा मजाक उड़ाते हैं । गांधी जी ने हरिजनों के लिए गारन्टी दिलाई थी जिस पर सारे हरिजनों को विश्वास रहा है और उन्हीं के चिंतन के आधार पर गवर्नमेन्ट सोच रही है, लेकिन फिर भी उनकी तरफ हमारी उतनी तवज्जह नहीं है ।

SHRI N1REN GHOSH [.West Bengal;: So many stories have come out during the . . .

श्री कल्याण चन्द : माननीय यह जो नीरेन घोष जी बीच में चिल्ला रहे है, विरोधी पार्टियों की सम्मिलित सरकार हमने 9 प्रान्तों में देखी है, उनकी दिलचस्पी को देखा है, उनकी तबीयत को हमने देखा है । इनकी हिम्मत नहीं पड़ी किसी सफाई कर्मचारी को मंत्री बनाएं । उत्तर प्रदेश में इनकी संविद सरकार ने सारे ग्रान्ट हमारे काट दिए । मान्यवर, जब इलेक्शन हुआ और हम बहुमत में वहां पर आए तो ये लोग कहते थे कोई केमिकल लगा दिया है, कोई रोशनाई लगा दी है । अरे, केमिकल और कुछ नहीं है, हम हैं, वह हरिजन हैं, जिन्होंने कांग्रेस के निशान पर ठप्पा लगाया । रोशनाई हम हैं जिसमें हस्ताक्षर हैं माननीय जगजीवन राम के और यह ब्लैंक चेक है और इसको क्रास करने वाला हमारा वोट है और वह वोट इन्दिरा गांधी को है । यह एक ब्लैंक क्रास्ड चेक कांग्रेस के लिए है, यह केमिकल नहीं है, यह रोशनाई नहीं है, यह जिधर जाता है इसकी नजर इन्दिरा गांधी पर है ।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : आपके सामने जो रिपोर्ट है वह इसी का परिणाम है और इससे ज्यादा लज्जा की बात और क्या हो सकती है ?

श्री कल्याण चन्द : यह रिपोर्ट ऐसी है कि अगर जनसंघ का इसमें सहयोग होता तो वह ठीक तरह से रिपोर्ट आती, लेकिन आपने तो इस कार्य में सहयोग देने की कोशिश ही नहीं की । आप तो हर समय हिन्दू महासभा की ही बात करते हैं और मुसलमानों का भारतीयकरण की बात करते हैं । अगर तुम्हारा और सब लोगों का सहयोग मिलता तो यह रिपोर्ट भी अच्छी आती ।

इस रिपोर्ट में तो हमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन आपने हजारों वर्षों से हमको क्या दिया है, यह बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते है । आपने जो केमिकल की बात कही है, तो आप इस बात को याद रखिये कि ये हरिजन ही थे जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था पर आपको केमिकल लगता है और जिस क्रास चेक पर श्री जगजीवन राम जी ने दस्तखत किये थे, उसी के नाम पर सारे हरिजनों ने कांग्रेस को वोट दिया था । लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुमत हरिजनों ने कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन कांग्रेस की नजर ठीक से हम पर नहीं पड़ती है और इसी लिए कहना पड़ता है :—

"मैंने ही तो मैयखाने को मैयखाना बनाया,
पर मेरे मुक्कदर में ही जाम नहीं है ।"

- SHRI SANAT KUMAR RAHA (West . Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, my previous speaker, hon'ble colleague from the Coiigresg side, has given, some certificates for the Government and the Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, when the issue of Schednled Castes and Scheduled Tribes has. been undermined by hirn. Sir, I think *r.o*-body is attracted to this report because there are no new achievements in this Report published year after year. Whatever is there, every year we find many stories of

dismal failure on the part of the Government. Sir, the entire House is one with one idea that Government in respect of implementation of whatever promises Government have been making or whatevei recommendations have been made by different Parliamentary Committees, have failed. 1 his is a glaring truth which comes out in wll the reports of all Parliamentary Committees regarding Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the Commissioner's Report. Sir, how is it that year after year the provisions of the Constitution in 'his regard are not being implemented? This is the sharp question which comes cmt of these discussions. Sir, after having gone through this Report I have come to this conviction that the Government have no serious planning regarding the upliftment and development of this community. Sir, the Government has no pointed concentration on this national problem. Sir. v.e all in one voice say that it is a question of 22 per cent of our population. As social scientists we can grasp this matter that there are two 1ypes of exploitations in our country. One type of exploitation is by the capitalists and landlords. And there is another type of exploitation in India from which they have been suffering long for thousands of years, *i.e.* the exploitation by the upper caste. After 27 - of our Independence, we have not been successful to eradicate this blot from our national life. If there is no political will and determination to eradicate untouchability, it cannot be solved. The administration can be given such direction and the Minister should be given such responsibility tbat they must have to explain before the House why they should carry on their functions without any achievements. I think there should be specific responsibility fixed on the Minister. A Minister of Cabinet rank should take absolute charge of the department of upliftment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Let it be tried for five years and see what we can achieve. My amendments follow this fundamental point. If there is no determination and will, if no responsibility is fixed, if there is ignment of task or job to the administrative officers as well as the Minister, this Government cannot implement the recommendations of these committees which are very valuable.

Year after year we see from the Reprrt that the office of Commissioner for Sche duled Castes and Scheduled Tribes is an orphaned child created by the Centre. Neither the Centre nor the State Govern ments look after it. Why ? The State Governments neglect it. They do not give any reply to the Commissioner's circulars. So, the latest reports are not available to us. This is a sad picture regarding the co-ordination between the Centre and the States. As regards the upliftment of this national force, which is at least 22 per cent of our population, this is the glaring picture which an independent country cannot tolerate.

As far as my amendments go, a Cabinet Minister should be in absolute charge of the department of development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. My second amendment says that some guidelines should be given to the States to implement the schemes. If it is not implemented, the States will have to give an explanation to the Centre. There must be some such understanding between the Centre and the Slate Governments.

My third amendment is there should be , a tirne-bound phased annual programme for the development and unliftment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. If the target is not achieved, explanation should be called for from the persons who are assigned the task. If the Minister fails to perform his task, he will have to resign from his office. Another Minister sTiould come in his place and take up the responsibility, so that the Scheduled Castes and ; Scheduled Tribes cannot be suppressed any j more. These are my main recommenda-. tions.

I would finish by saying that the Commissioner for Scheduled Castes and Schedemanded some staff. Whv do you not give it ? Whv should the Ministry neglect the demands of the head-

[Shri Sanat Kumar Raha]

quarters office ? Similarly, the offices in the States are suffering from shortage of •staff. Adequate money is not given to them. Unless sufficient money is allotted according to the size of the population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. nothing can be achieved. All these, thirds are very serious. I reouest our Minister. Mr. Om Mehta, that he should seriously consider my amendments. 1 hone the House will accept my amendments. 1 hope he wiH go into the matter and there will be a Minister absolutely in charee of the Department of Scheduled Castes and Scheduled Tribes at least for the coming five years.

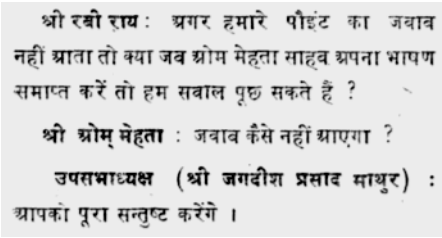

श्री रबी राय : अगर हमारे पौइंट का जवाब नहीं आता तो क्या जब ओम मेहता साहब अपना भाषण समाप्त करें तो हम सवाल पूछ सकते हैं ?

श्री ओम् मेहता : जवाब कैसे नहीं आएगा ?

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : आपको पूरा सन्तुष्ट करेंगे ।

THE MINISTER OF STATE JN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI OM MEHTA): Sir, I am very thankful to the Members from both sides who participated in this important discussion. As you know, it is only about a month back that myself and Mr. Reddy came to this Ministry. And as soon as we came to this Ministry, we tried that at the first opportunity available we should place this twenty-first Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes before both Houses of Parliament so that the Members have an opportunity to speak on it and give us the benefit of their ideas and also for the future we can get guidance from the ideas which they will be expressing from both sides of the House. About 30 Members of this House participated in the discussion. There were Members from the Scheduled Castes and from the Scheduled Tribes and some who were non-Scheduled Caste and non-Scheduled Tribe Members also participated. And it was a very good discussion. And I am very thankfiil to them for the suggestions that they have given.

As you know, Sir, this is a major national problem of a serious nature and of wide magnitude concerning human dignity and development, and as such, it needs to be tackled with equal seriousness, gravity and intensity, so that the weaker sections of the society could be brought up to the general standard in the country in as short a time as possible. In order to achieve this, it is absolutely essential to create among all concerned a sense of commitment anti deep sense of personal concern for these down-trodden communities. And this is not a problem of recent origin; this has been with us for thousands of years. When we were not independent, even at that time this problem was with us. But when our country achieved independence, we tried to tackle this problem on a war-footing. And I am proud to say that for the first time major attention was paid to this problem. And I may say that vgth the steps which we have taken up till now we have not been able to solve all the problems. As was rightly pointed out by some of our friends, it is not only a social problem, it is an economic problem also. But still by taking those steps we have tried to solve them. We have not been able to solve them completely but still we have achieved something of which myself and the Government of Shrimati Tndira Gandhi can be proud.

About the points which have been raised by the hon. Members, I will come to them, to each and every point. But there have been some points which have been touched by almost all the Members, and I will try to reply to them, and after that I will come to their specific points.

Sir, many Members have raised the question of education. The educational programmes have yielded high dividends since 1931. I will request the Members to note that in 1931 the literacy rate of the Scheduled Castes was 1.9 per cent as the general literacy rate of 9.5 per cent and that of the Scheduled Tribes 0.7 per cent. This rose to 14.71 per cent for Scheduled Castes and 11.29 per cent for Scheduled Tribes during 1971 against the general literacy rate of 29.46 per cent.

Thus, in the case of the Scheduled Castes the literacy rate rose about eight times and in the case of the Scheduled Tribes it rose to 16 times, when Ihe general literacy rate rose only just over three times during ;he last 40 years. Sir, this rise in the literacy rate was made possible by the various educational schemes launched by the Government. In the post-matric education the improvement has been considerable. In the beginning of the First Plan, 1164 scholarships were awarded to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students. This number is expected to reach the figure of 3,50,000 in' the current year. Tn other words, more than 200 times as many Scheduled Caste and Scheduled Tribe student are under-going higher education as they were in the beginning of the First Plan.

4 p.M.

Also, Sir, in the successive plans the ex-penditure on post-matric scholarships has been on the increase. It was Rs. 2 croies in the irst Plan, Rs. 7.36 crores in the second Plan, Rs. 17.5 crores in the third Pian and Rs. 57.94 crores in the Fourth Plan. Hostels numbering 4,500 have been constructed throughout the country to accommodate Scheduled Caste and Scheduled Tribe students.

SHRI O. P. TYAGI: Foreign scholarships.

SHRI OM MEHTA: I am coming to that. Eight hundred Ashram schools have been established tn various parts of the country particularly for the sake of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students in accordance with the constitutional provision. Orders have been issued reserving percentage of vacancies in the Government, reservation percentage being 15 in the case of Scheduled Castes and 7-1/2 in the case of Scheduled Tribes. Sir, in this connection I would like to say that to tackle those problems Mrs. Indira Gandhi and her Government appointed a very high-power committee to review representations of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services. The Chairman of this high-power committee is the Prime Minister herself. On this committee arc the Minister of Home Affairs, the Minister of Agriculture, Shrj Jagjivan Ram, the Minister of Stale in the Department of Personnel, the Secretary, Ministry of Home Affairs, Additional Secretary, Director-General, Bureau of Public Enterprises, Ministry of Finance, Director-Seneral, Backward Classes, Director-General, Employment Exchange and tbe Director-General of Employmcnl and Training. This Committee has been appointed only recently. The Committee had five meetings so far. The last meeting was held on 9-4-74.

In regard Io the progress in Ihe recruitment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Sir, in the I.A.S, in the last ten years we have rec iiired 1,248 out of which 229 are Scheduled Castes. In the I.P.S., out of 765, 139 are Scheduled Castes and Scheduled Tribes. So I must say that in the I.A.S, and the l.P.S. and also in Class I and Class II Central Services to which recruitment is made on the basis of competitive examinations, all the reserved vacancies have been filled by the candidates of these communities except in one or iwo examinations in which there has been a shortfall.

Sir, when Mr. Shekhawat was speaking in the morning he said something about reservation in the public sector undertakings. As regards public sector undertakings under the control of the Central Government, directives finalised in consultation with the Department of Personnel and Ministry of Law were circulated by the Bureau of Public Enterprises to the various administrative Ministries concerned in September, 1969 nnd again in February, 1971 and in May, 1974 for issue to the Undertakings under their control for making reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in their services *on* the lines of the reservations in the services under Government. I am proud to say, Sir. that up to this time we have Scheduled Caste and Scheduled Tribe

[Shri Om Mehta.]

employees in the public sector undertaking as on 1-1-1971 as follows:—

Class I	163
Class II	549
Class III	19,302
Class IV	20,626

(Excluding sweepers)

SHRI Js'. G. GORAY: I pointed out these, figures and I tell you that from 1970 to 1972 the percentage has fallen actually.

SHRI OM MEHTA: It is because earlier the recruitment was very high. I will i lie percentage.

श्री रघो राय : मैं उपसभाध्यक्ष महोदय, डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं । मैं आपका ध्यान खींच रहा हूं । कमिश्नर की जो पौइन्टेड सिफारिश है उसको मैं पढ़ना चाहता हूं :

"The best course in that case should be to amend article 33X of the Constitution under which the Commissioner's appointment has been made by tbe President, to make it clea? that the Commissioner would investigate into safeguards provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Constitution, other than those indicated in article 16(4), 320(4) and 335 of the Constitution."

इसके बारे में कहिए । यह तो आप स्तुति कर रहे हैं अपने काम की ।

SHRI OM MEHTA : I will come to your point.

श्री भैरों सिंह शेखावत : मैं बताता हूं, पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग्स में वैसे वहां 37,635 आफिसर्स हैं जिसमें देखा जाए तो शेड्यूल्ड कास्ट के 253 हैं और शेड्यूल्ड ट्राइबस के 69 हैं ।

श्री एन० एच० कुम्भारे : मिस्टर वाइस चेयरमैन, ऐसा है इसमें जो रिजर्वेशन है उसमें एक पौइन्ट यह है कि जो रिजर्वेशन कोटा है वह सिर्फ, जिसको कहते हैं मेन्टेनेन्स वैकेन्सी कादर, उसमें दिया जाता है । एन्टायर कादर में रिजर्वेशन होना जरूरी है और इसलिए जो 15 परसेन्ट रिजर्वेशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए साढ़े सात परसेन्ट है, वह मेन्टेनेन्स वैकेन्सी कादर पर होना चाहिए; उसके बाद और ज्यादा बढ़ना चाहिए, तब जाकर यह पूरा होगा ।

श्री ओम् मेहता: जब मैं कह रहा था, अभी शेखावत जी जो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि इसमें पब्लिक अण्डरटेकिंग्स में रेप्रेजेंटेशन नहीं है ।

(Interruption)

उप-सभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर): जितना है उतना बता दिया ।

श्री ओम् मेहता : इसमें परसेन्टेज दिया है कि क्लास वन और 2 में परसेन्टेज कम है, लेकिन उसके साथ क्लास 3 और क्लास 4 में परसेन्टेज 5.49 है । शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का परसेन्टेज 15.96 होना चाहिए । इसी तरह से 1973 में जो नम्बर है शेड्यूल्ड कास्ट इम्पलौएज का वह 392 है । क्लास 1 और क्लास 2 में 1,221 है, क्लास 3 में 42,852 है और क्लास 4 में 57,225 है । इस तरह से जो परसेन्टेज है वह क्लास चार में 24.80 है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का 8.25 है ।

(Interruption)

श्री रघो राय : हमारे पौइन्ट का जवाब दीजिए ।

श्री ओम् प्रकाश त्यागी : क्या इसी तरह का नियम प्राइवेट सेक्टर पर भी लागू होगा ?

श्री ओम् मेहता : प्राइवेट सेक्टर पर ? आप हमारी बात कितनी मानते हैं जो आप समझते हैं दूसरे सेक्टर वाले मानें ।

श्री ओम् प्रकाश त्यागी : आपका इरादा तो है । आप सुनते जाइये हमारा इरादा क्या है ।

SHRI OM MEHTA: The increase in literacy and education has also brought with it problems of unemployment. In" order to tackle this, pre-examiriation training centres have been opened throughout. the country to impart coaching to candidates appearing in Central and State Services examinations. Sixteen such centres, 5 for All India Services 'Allahabad, Jaipur, Madras, Patiala and ^oona) and 11 for

. State Services (Andhra Pradesh, Bihar Delhi, Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Orissa, Uttar Pradesh and West Bengal) are functioning at present, ic addition, there is also an arrangement to get certain number of candidates for All India Services coached by the Rau's r.A.S. Study Circle, New Delhi.

As a result of taking up this scheme, the quota reserved for the candidates of these communities in the I.A.S., I.P.S. and other Central. Services is filled in full from the year 1964 onwards. As a result of provision of coaching facilities, about 36 candidates have been able to qualify finally for the appointment in the All India Services etc. competition held by the U.P.S.C, in October, 1973 alone.

In order to keep pace with the march of time, students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are encouraged to take up scientific and technical education. Seats to the extent of 20 per cent are reserved for them in technical and scientific educational institutions. Reservations have also been made in the various industrial training institutes and the students are provided with stipends. In the beginning of 1973 over 18,000 Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates were undergoing training in the 357 industrial training institutes to get training as wireman, electrician, welder, carpenter, turner, etc. These students are paid stipends at the rate of Rs. 45 per student per month.

Just now Shri Tyagi asked a question about foreign scholarships. Deserving students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are also encouraged to go abroad for studies by awarding them scholarships. Under this scheme so far 232 scholars have been awarded scholarships for studies abroad.

SHRI RABI RAY: Out of?

SHRI

टोदर

मेरे पास नहीं हैं और जो मेरे पास हैं वह मैंने बतला दिया ।

OM MEHTA : It is not here. r

78 RSS/74—7.

श्री भैरों सिंह शेखावत: मेडिकल कालेजों में रिजर्वेशन के बारे में आपने सब कुछ कर दिया है, लेकिन मेरी जानकारी ऐसी है कि 17 मेडिकल कालेज ऐसे हैं जहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं है । मैं व्यक्तिगत रूप से महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट आफ साइन्सेज के बारे में कहना चाहता हूं ।

श्री ओम् मेहता: मैं इस बारे में बाद में बतलाऊंगा ।

The scheme of tribal development blocks has been the most important economic development scheme for the Scheduled Tribes. There are at present 504 Tribal development blocks throughout the country which cover all the areas with tribal concentration of 66.3 per cent and above. Each tribal development block is allotted Rs. 10 lakhs in stage I, Rs. 5 lakhs in stage II and Rs. 10 lakhs in stage III. In addition, the block gets Rs. 12 lakhs in stage I and Rs. 5 lakhs in stage II from the community development sector.

So, Sir, like this we are trying to do whatever is possible so that the economic conditions of Scheduled Castes and Tribes improve and they are brought to the general level of other people.

Hon. Members have raised several points. One by one I will deal with those points and satisfy the hon. Members who have raised them.

Shri Deorao Patil raised the point that there are many area restrictions in the lists of Scheduled Tribes which are a cause of many anomalies and difficulties for tribals. The tribalr are not able to derive benefits because of such area restrictions. These restrictions should, therefore, be removed.

It is true that there are area restrictions in the lists of Scheduled Tribes. With a view to removing the area restrictions, wherever necessary, and also other anomalies which exist in the lists of Scheduled

[Shri Om Mehta]

Castes and Scheduled Tribes, the Government introduced the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill in the Lok Sabha in 1967. This Bill, however, lapsed due to the dissolution of the Fourth Lok Sabha in December, 1970. A fresh Bill for revising the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes which *inter-alia* will also seek to remove area restrictions is being prepared in consultation with the Ministry of Law and Justice and we hope to introduce this Bill in the near future, in the minimum possible time.

Shri D. K. Patel, the only backward class Member, from Ian Sangh, also raised a point. I expected that Jan Sangh which is saying so much for Scheduled Castes would at least have one Member from that community in the Rajya Sabha. You know there is no direct election to this House because Rajya Sabha members are elected by the State Afsemblies. I thought they would have at least one Scheduled Caste member to speak for Scheduled Castes Unfortunately Shri D. K. Patel

श्री भैरों सिंह शेखावत : श्री जगदीश प्रसाद माथुर शड्यूल्ड कास्ट के है और इस बारे में अभी हाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेन्ट दिया है ।

श्री ओम् प्रकाश त्यागी : मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे मान सिंह वर्मा यहां पर थे ।

श्री ओम् मेहता : मैं अभी की बात कर रहा हूं । अभी आपके 15 मैम्बर हैं । डी० के० पटेल भी इण्डिपेन्डेन्ट आए थे, बाद में आपके साथ उन्होंने जोइन किया । वे भी शेड्यूल्ड कास्ट के नहीं हैं, बैकवर्ड क्लास के हैं ।

श्री भैरों सिंह शेखावत : हमने तो पहले ही कह दिया कि आपने सबको गिरवी रखा हुआ है आपने पास ।

श्री ओम् मेहता : गिरवी नहीं रखा हुआ है । आपके पास इतनी शक्ति नहीं है । हमारी तरफ देखिए कितने मेम्बर हैं । मुझे तो, शेखावत जी, अफसोस इस बात का है कि इसके बाद भी हमने सिला है कि हम वफादार नहीं है ।

Sir, Mr. D. K. Patel raised the point that the employees of the forest labour co-operatives are sophisticated and do not belong to the tribal groups. Local Scheduled Tribes should be trained and employed in the co-operative societies. A Study Team on Co-operative Structure and a Study Group on the Relief of Indebtedness, Land Alienation and Land Restoration in the Tribal Development Agency projects were appointed by the Government of India, Ministry of Agriculture. This Team has suggested certain basic features on the approach to co-operative development for the tribals in the project areas. The State Governments hava already been advised to adopt the model suggested by the Team for the preparation pf integrated tribal development projects.

Sir, Shri Buragohain raised the point that no separate hostels should be established for the Scheduled Castes, but only reservation for them should be made in the general hostels. Sir, there cannot be two views on this. The Government is in full agreement with the view expressed by. the honourable Member that there should not be separate hostels for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students. Keeping this in view, seats in the existing Scheduled Tribe hostels in the States and the Union Territories are teserved for the uon-Scheduled Caste and non-Scheduled Tribe students, particularly in the case of the Scheduled Caste hostels to give them a cosmopolitan character and the States and the Union Territories have been requested to consider the desirability of issuing instructions that if a non-Scheduled Caste student refuses -accommodation in a hostel run for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, he should not be allowed accommodation in any other hostel.

[Mr. Deputy Chairman in the Chair]

In the general hostels also effort^ are made to reserve seats for the Scheduled Caste Students.

Sir, Mr. Buragohain raised another point that a coaching-cum-guiding centre should be established at Shillong or Gauhati

for catering to the needs of the North-Eastern Region. Sir, there are at present four coaching-cum-guiding centres at Delhi. Kanpur, Jabalpur and Madras and these are run by the Director General of Employment & Training. The purpose of these centres is to coach the Scheduled Caste nnd Scheduled Tribe candidate for Class TH posts so that they may gain confidence to face interviews. For this purpose, the main criterion for selecting the location of such centres is~ that there should be a fairly large number of registrations in the Employment Exchanges and also there should be a fairly good employment potential. In Gauhati and Shillong, Sir, the number of persons registered with the Employment Exchanges is not large and, therefore, the opening of such centres in these places will have a low priority But still I may assure him that whenever we think of opening any coaching centre, we will keep Shillong in view.

Sir, Mr. D. K. Patel said that there are delays in the grant of post-matric scholarships and that ad hoc payments should be made at the beginning of the academic year. The Government is fully aware of the strength in this argument that the delay in the disbursement of scholarships defects the very purpose of the scholarships as the beneficiaries belong to the poorer sections of the society. The Ministry has, therefore, been repeatedly impressing upon the State Governments, who are the implementing authorities, to take suitable steps to eliminate the delays in the disbursement of scholarships One of the suggestions made by the State Government was the adoption of measures like ad hoc advances so that the students get some monetary help when they join the colleges. The replies received from the State Governments show .that some of them like Gujarat, Haryana, Kerala, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu and Orissa have implemented the suggestion and all the State Governments have taken steps tc minimise the delays in the award of scholarships.

Sir, Mr. Rachaiah yesterday and> Mr. Makhwana tod&y raised the point about the restrictions which have been recently placed on the scholarships, which are post-matric scholarships, which are being given to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students.

As I said earlier, it is for the first time that we are spending about Rs. 107 crores on post-matric scholarships. I cannot say actually that we have "doubled the amount of scholarships, but in some cases it has been doubled, while in some other cases there is an appreciable increase in the amount which would be given to Scheduled Caste students . . . *(Interruptions).* Also a girl student will be getting an increase of Rs. 10 and Rs. 15 over what a boy student would be getting.

To rationalize the whole thing, we have Io put some restrictions. These are not restrictions as such; these would not hinder the progress of Scheduled Castes. One restriction which has been imposed is that students in fulltime employment will not be eligible. Students pursuing their courses at the ITIs will not be eligible. Only two children of the same parents will be entitled to receive scholarships.

Sir, the main consideration before the Government has been that the provision of scholarships to those in full time employment was leading to a considerable misuse, particularly in large urban areas where Ihere is a mushroom growth of institutions of higher education. If an individual ha* full-time employment, he can support himself and finance his own education, which,* in any case wiH be on.part-time basis…

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Why only the children of a parent ? This should be for guardians also . .

SHRI OM MEHTA : Yes. The second restriction is that students pursuing their courses at the 1TI will not be eligible. Students pursuing ITI courses are already provided under the scheme of D.G.E&T and State Governments, and they get altogether Rs. 45 per month. Many of the ITI courses do not require matriculation as the minimum qualification for admission. Therefore, they do not qualify under the general scheme of post-matric Fcholarships.

[Shri Om Mehta]

The third thing is that all the children of the same parents on guardian, as said by Mr. Makwana, will not be entitled to receive scholarship; only two children in a family can get full assistance. If two children in a family get full assistance for higher education, it can reasonably be expected that it will support the education of others in the family. If two members in a family receive University education, the status of the family is also expected to rise automatically, not requiring State assistance. I have said that Rs. 187 crores have been provided. But there is no fixed amount. We have written to the States. All those students who come to the post-matric class, whether it is engineering, M.A., M.Sc., etc. will get scholarships. Nobody would remain without a scholarship.

SHRI R. RACHAIAH : Why only two children in a family ? ...

SHRI OM MEHTA : We want family planning. We do not want Mr. Pahadika produce half-a-dozen children. . .

(Interruptions)

Mr. Barman also raised some points. The Tribal Reserve created-by the Maharaja for protecting the tribals should not have been done away with. The tribals have been reduced to a minority in Tripura with the influx of refugees from Pakistan and are being exploited. The Tripura Land Revenue Act, 1960, is not being implemented. The land belonging fo the tribals has been grabbed by land-grabbers and moneylenders. The present legislation legalises all land transactions up to 1969. This has deprived the Scheduled Tribes of their land.

Sir, the Tribal Reserve Order issued by the Maharaja of Tripura was repealed on account of the following reasons. (1) Major portion of the Scheduled Tribe population, about 66 per cent, has beerr staying voluntarily outside the erstwhile Tribal Reserve interspersed with non-tribal population. (2) The erstwhile Tribal Reserve and reserve forest constituted over-lapped one another with definite dis-advantages to the latter. (3) It served only five tribes as against 19 recognized tribes of Tripura and was thus discriminatory in nature.

SHRI B. * D. BARMAN: You irfty extend it to 19 tribes. But why was it restricted to 5 tribes?

SHRI OM MEHTA : The Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960, has been amended by Tripura Land Revenue and Land Reforms (Second Amendment) Ordinance, 1974. This ordinance envisages preparation of field index of every plot in a village recording the status of the actual possessors which would take care of any disputes arising out of tribal land having been occupied by non-tribals. Further, the said ordinance empowers officers of the State Government to restore possession of illegally alienated tribal land to the original tribal owners. The ordinance does not bar any aggrieved persons from seeking redress in civil courts in matters of land alienated prior to 1-1-1969.

Shri Brahmananda Panda spoke about the inadequate development in tribal areas. According to 1971 census, the population of Scheduled Tribes constitutes about 7 per cent of India's population. In pursuance of the constitutional provision, the welfare of backward classes has been receiving the attention of the Government since Independence. Special programmes for the welfare of backward classes have been undertaken in the successive Five Year Plans and the size of the investment on special programmes for the welfare of Scheduled Tribes has been increasing from Plan to Plan as will be seen from the progress of expenditure indicated below :—

First Plan	17 crores
Second Plan	41 crores
Third Plan	53 crores
1966—69	36.27 crores
Fourt Plan	82 crores
Fifth Plan	305 crores (allocation)

During the Fifth Plan, a new strategy for the development of Tribal Areas has been evolved. According to this, Sub-Plan, Integrated Tribal Development Projects have to be prepared to cover all areas having more than 50 per cent of tribal concentration.

Shri N. G. Goray said that there was a heavy drop-out in primary and middle stages of education. This is due to the economic conditions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The States should be asked to take steps to minimise such wastage. The educational facilities proposed to be created during the Fifth Plan, will primarily benefit the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes and other weaker sections of the population. Incentives, in the form of free mid-day meals, books and stationery, stipends and uniforms and attendance scholarships for girls, are proposed to be provided for promoting enrolments and, what is more important, to ensure the retension of the children in school for the full period. The outlays provided for these incentives in the educational plan will be utilised mostly for the benefit of the weakest sec-lions. Provision has also been made for the establishment of Ashram Schools in tribal areas. As Goray Ji knows, the poverty of the household is the major reason for premature withdrawal of the child from the school. Studies have revealed that the incidence of wastage and stagnation is much higher in the case of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes children. The organisation of part-time classes can, by enabling the children to receive instructions at a suitable time, substantially reduce the withdrawal from school of the children of the weaker sections for domestic chores, thereby improving their chances for further education.

In short, our endeavour will be to reduce to the maximum extent drop-outs wherever they occur by providing suitable facilities to the children belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities. The States will also be sounded to take remedial measures to achieve the objective*.

Shri Rabi Ray raised a point about the powers of the Commissioner to investigate into service safeguards and calling the relevant records. Sir, the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has raised the following two questions : (i) whether he can call for the original records and files in specific cases where complaints have been made to him so that ho can satisfy himself that the safeguards provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Constitution have not been violated. Sir, it has been considered at the highest level. And a high-powered committee under the chairmanship of the Prime Minister considered this problem and some decisions have been taken. These decisions are: Files relating to the appointment of candidates belonging to the Scheduled Castes and Schedule Tribes against the reserved quota should on demand be made available to the Commissioner for Schednled Castes and Scheduled Tribes. In all other cases, comprehensive notes explaining the position may be furnished to him. Should the Commissioner have any reservation or doubts in regard to the explanation given, the matter may be referred to the Home Secretary who will go through the original records and answer the queries by the Commissioner, and wherever possible he will also send the record with the file, and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Government employees njay be permitted to write to the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes direct on matters relating to the appointments against the reserved quota.

श्री रबी राय : इसमें आपका सेक्रेटरी बड़ा है या कमिश्नर ।

श्री ओम् मेहता : नहीं, नहीं । फाइल्स तो उसके पास हैं । "फार योर इन्फार्मेशन" फाइल देता है । वह सेक्रेटरी को लिख कर देते हैं ।

श्री रबी राय : तो संशोधन क्या है ?

श्री ओम् मेहता : वह बड़ा लम्बा मामला है . . .

श्री रबी राय : इसका मतलब यह है उनकी सिफारिश लागू नहीं होती है । तो फिर मतलब क्या होता है ?

[श्री रबी राय]
हाई पावर कमेटी का क्या हुआ ? इसका मतलब है आप कमिश्नर की सिफारिश को नहीं मानते हैं ।

श्री ओम् मेहता : मानते हैं ।

श्री रबी राय : कैसे मानते हैं ? आर्टिकल 448 का संशोधन नहीं करेंगे संविधान में तो सेफगार्ड नहीं रह पाएगा । ओम मेहता जी, इस बारे में सन्तोषजनक उत्तर दीजिए । यह तो रपट में है ।

श्री ओम् मेहता : नहीं, रपट में है फाइल रख दी जाए ।

श्री रबी राय : आपने रखा है या कान्स्टीट्युएन्ट असेम्बली ने रखा है ?

श्री ओम् मेहता : कान्स्टीट्युएन्ट असेम्बली किसकी थी भाई ?

श्री रबी राय : इसलिए उनकी सिफारिश मान लीजिए ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You are going on repeating it. Let him reply.

SHRI OM MEHTA: Mr. Kumbhare, I have already said that files relating to the appointment of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes against the reserved quota should on demand be made available to the Commissioner.

ı
ed Castes & Scheduled Tribes

SHRI N. H. KUMBHARE (Maharashtra): Sir, the question is, when the Commissioner has got the power, the report is given by the Home Secretary. Now the report is given by a person against whom there is a grievance that he has done something which amounts to injustice to a particular employee. Here the question is whether the Commissioner could be given the power to look into the records of a particular case.

श्री रबी राय : उपसभापति महोदय, हमारे पास बासुमातारी कमेटी की रपट है । मगर भारत सरकार की सिफारिश है कि कोई उनकी बात कार्यान्वित नहीं होती है । तो इसका मतलब क्या होता है ?

SHRI N. H. KUMBHARE : When the Home Secretary could call for and examine the files, why not the Commissioner? The Commissioner has got a better status, and he is a man of independent status.

SHRl RABI RAY: They do not trust hirn.

SHRI OM MEHTA : We trust him. It is our fairness that the President appoints the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(Interruptions).

श्री रबी राय : संविधान में है । आपको झक मार कर रखना होगा ।

श्री ओम् मेहता : संविधान में हमने ही रखा है ।

श्री रबी राय : ठीक है, उसके बाद क्या हुआ ? वह शेड्यूल्ड हुआ ? आप कमिश्नर को फाइल दीजिए । कमिश्नर जो सिफारिश देगा वह लागू नहीं हो पाएगा । सवाल यह है कि सेफगार्ड क्या है ?

श्री ओम् मेहता : अभी जब रिपोर्ट आपके पास आनी है उनमें देख सकते हैं उसकी सिफारिशें मानी हैं या नहीं ।

श्री रबी राय : बासुमातारी कमेटी ने कहा । 7 महीने प्रेसीडेंशियल आर्डर को जब आपका डिपोर्टमेन्ट लागू कर रहा है तब आप प्राइवेट इण्डस्ट्री वालों को क्या कहेंगे ? आपका ही डिपार्टमेन्ट ऐसा कर रहा है ।

R. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Rabi Ray, you have made your point very clear. Let him continue.

SHRI OM MEHTA : Sir, Mr. Kumbhare raised one other point that the Report of the Commissioner is usually annual but this time, the Report covers the period of two years, which is contrary to the direction of the President. The present Report covers two years, viz. 1971-72 and M>72-73. Since the post of Commissioner was vacant for near about a year, it was not possible for the Commissioner to be up to date with the submission of his Reports.

Sir, the Commissioner made a request for permission to submit a report covering the years 1971-72 and 1972-73. The request of the Commissioner was agreed to after obtaining the approval of the President in the matter. In future, the Reports of the Commissioner will, however, continue to be annual.

SHRI N. H. KUMBHARE: Sir, the Constitution envisages that this problem of Scheduled Castes and Scheduled Tribes will be taken up with due care, more care. I cannot understand why this post has been allowed to remain vacant for 13 months. Unless the hon'ble Minister gives us cogent reasons for that, we will not be satisfied.

SHRI OM MEHTA: Sir. difficulties were there.

SHRI N. H. KUMBHARE : Was it a case of...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Kumbhare, you keep on talking without allowing him to speak.

SHRI N. H. KUMBHARE: He hai no'. satisfied us.

SHRI OM MEHTA: Sir, it remained vacant because we could not find a right man. As soon as we found a right man from Maharashtra, we immediately filled it up. You must see that it is a Congressman who is giving this Report and you are criticizing it. You could not have expected a better report even if he were a member from the Opposition.

श्री भैरों सिंह शेखावत : वही हुआ कि जिसको आपने टिकट दे दिया ।

श्री ओम् मेहता : टिकट नहीं दिया बल्कि कमिश्नर बना दिया ।

श्री भैरों सिंह शेखावत : आपने एडजस्ट करने के लिए कमिश्नर बना दिया ।

SHRI OM MEHTA : I want to make it clear that it is the policy of our politics that we can adjust the people wherever we want them, a right person in a right place. This person was a right person and we have placed him there.

Sir, Mr. Dwevedi has raised a point that there should be a high-powered National Committee under the Chairmanship of the Prime Minister to look after the interests of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. As announced in the early pait of my speech, a committee under the Chairmanship of the Prime Minister, of which some Cabinet Ministers and others are members, has been appointed and they will be looking into the cases of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. A parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes consisting of 20 Mebmers from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha was first constituted in December, 1968 by the Fourth Lok Sabha. At present, it is headed by Shri D. Basumatari. Similar committees of State Legislatures have been set up in some States also.

श्री ओम् प्रकाश त्यागी : आप इसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री क्यों नहीं बता देते और जब तक आप यह कार्य नहीं करेंगे तब तक यह समस्या हल नहीं होगी ।

SHRI OM MEHTA: I have no objection to have a separate Ministry. Sir, as Mr. Om Prakash Tyagi knows very well, this subject was a part of the Ministry of Social Welfare nnd Education. It is less than a year that it has come to the Ministry of Home Affi.irs because we thought that whenever there are cases of untouchables and Scheduled Castes and Scheduled Tribes, generally because it is a State subject, we have to be in close contact with the States and State authorities, so it is better that it is placed as a part of the Home Ministry and Home Minister Mr. Brahmananda Reddy is the Cabinet Minister for this and we are just helping him in discharging these duties. And, still, Sir, so many high level committees are being appointed which look into it that whatever we decide at the highest

[Shri Om Mehta.] level is implemented, because the main point, Sir, is that whatever we decide, whatever steps we take, are implemented.

Then, Sir, Mr. Dwevedi raised the point regarding the need for our using mass media for removal of untouchability, particularly All India Radio. Sir, I must inform him of the work done during the period 1971-73 by the various media of the Ministry of Information & Broadcasting for removing untouchability. Sufficient work has been done in 1971-72 and 1972-73. There have been 145 plays and features in 1971-72 and 234 in 1972-73. Likewise, plays, discussions, sketches, poems and songs and other items; the total number in 1971-72 had been 854, and in 1972-73, 1067. Along with tliat the Song and Drama Division have also done something for the eradication of untouchability. This was one of the most important things on which the publicity programmes of the Song and Drama Division were arranged. During 1971-72 and 1972-73 they had presented 270 and 2,000 such programmes on the theme of untouchability through various agencies in the field. Also, the Films Division of the I and B Ministry has produced three documentary films. One is Vivtims of Tradition', the second is The Harijans' and the third is Tested Berries'. All/these deal with untouchability.

Mr. B. Rachaiah said that the number of girls' hostels and Ashram schools should be increased. In the Fourth Plan the provision was Rs. 2 crores and in the Fifth Plan we have increased it to Rs. 4 crores. Whatever more can be done in this field we will do.

Then, some Members raised cjuestions relating to DDA. I am proud to say that when myself and Shastriji were the concerned Ministers we did something for die first time. There was a combined reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Under that 5,400 persons have been registered with DDA under different categories. Earlier also there was reservation. The DDA constructs houses foi the middle-income, low income and the economically weaker sections. There was a reservation which included war widows, political sufferers and ex-Servicemen. We made it that 15 per cent reservation will be exclusively for the Scheduled Castes. In that, up to this time we have allotted 195 houses to the middle-income group, 386 houses to the lower income group and 1569 in Janta group. For the community services personnel like tailors, washermen and barbers, we have allotted 405 houses. The total number is 2,555. In this case also we are trying to do whatever is possible. In regard to flats we have said that 15 per cent reservation will^be made for allotment exclusively to persons belong to the Scheduled Castes. Whatever money was being charged from others, it has been reduced in their case. They have to give Rs. 2,500 against Rs. 5,000 in the middle-income group. We charge only Rs. 2,500 in the middle-income group if he comes from the Scheduled Caste. For the low income group, instead of Rs. 3,000 only Rs. 1,500 is charged. In the case of the weaker sections, they have to pay Rs. 500, but the Scheduled Castes hare to pay only Rs. IOO for getting reservation for one house. Like this wherever it is possible we are looking into it. I want to say that in some of the villages we still find untouchability. Still offences against untouchability are there. Sometimes for taking drinking water from wells and other things precious lives are lost.

There also we have been trying to pay our attention and special cells are created to look into the grievances of the Scheduled Castes and the Sheduled Tribes. In regard to the employment of the Scheduled Castes and Tribes in the Government service, a cell has been set up directly under the respective Chief Ministers in Andhra Pradesh, Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu and West Bengal. In UP, a special cell has been set up under the charge of the DIG to undertake prompt enquiries into the complaints involving offiences against members of the Scheduled

Castes and to initiate action according to law. In Gujarat, special cells have been set up in charge of police officers at Rajkot and Godhra to investigate into serious complaints of atrocities on the Harijans and other minorities. Besides, these problems are dealt with in the office of the State IG of Police by an officer with the rank of Assistant Inspector-General of Police. So, to this also we are paying our attention.

Some Members referred to what is being done for them at a high level; I must say that it is for the first time that in Shrimati Indira Gandhi's Cabinet, out of 61 Ministers 14 are belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. And if we take the minorities also . . .

SHRI NIREN GHOSH : Why not make a Scheduled Tribe man as the Prime Minister of India ?

SHRl OM MEHTA : This privilege goes to my party. Shri Sanjivayya who is no more with us was made the Congress President. He was also a Minister. *(Interruptions)* Just listen to me. When you were in West Bengal, what did you do ? Why did you not appoint any Scheduled Caste man as the Chief Minister ? You were in power in Kerala. Did you appoint anybody as Chief Minister ? It is we who appointed Shri Bhola Paswan Shastri as Minister.

श्री रबी राय : चीफ मिनिस्टर तो हमने बनाया ।

SHRI NIREN GHOSH : If you refer to so many Ministers . . .

SHRI OM MEHTA : Mr. Ghosh, your party was in power in West Bengal. They were in power in Kerala. Before you say that we appoint some Scheduled Caste man as the Prime Minister, he should have thought in his mind what they did when they had these two States in their power. Did they appoint any Scheduled Caste member as Chief Minister ?

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: Not even as party general secretary.

SHRI OM MEHTA : Not even their party's general secretary, not even as Ihe party's president. In Urdu there is a saying—

'हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और'

(Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Let him continue.

SHRI OM MEHTA: They say that we have not appointed anybody to high positions. Mr. Bhandare is the Governor of Bihar. He is from the Scheduled Caste. Mr. Chedi Lal who is the Lt.-Governor of Pondicherry, is also from the Scheduled Caste. In' the UPSC which is the highest statutory body to recruit civil servants, we have got two members, one is from the Scheduled Caste and the other is from the Scheduled Tribe. In the High Courts of the country, in four High Courts there are Judges who corae from the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Also in the Rajya Sabha and the Lok Sabha, we have the privilege of electing as our Deputy Chairman and the Deputy Speaker persons coming from the Backward Classes.

SHRI O. P. TYAGI: What about Ihe Supreme Court ?

SHRI OM MEHTA: I am very sorry . . .

SHRI I. T. SINGH (Manipur): For the information of the Hon. Minister, the present Chief Minister of Manipur is from the Scheduled Tribe, the present Ambassador to Burma is also from the Scheduled Tribe, the present Chief Secretary to Government of Goa is also from the Scheduled Tribe, and a member of M.P.S.C, Manipur belongs to Scheduled Tribe. But when we see the performance, in the Congress we have 144 Members in the Rajya Sabha. I do not talk of the Lok Sabha because there it is for the people to elect their Scheduled Caste members or not. In the Rajya Sabha they are elected on the party strength and they can immediately return anybody they like. So out of 144

[Shri I. T. Singh.] Members, the number of Scheduled Caste Members is 29 which is more than 20 per cent. The C.P.I, has 2 out oi 12, that is, 17 per cent. But when we go to the J ana Sangh, there' is only one Member, an Adivasi, which means only 8 per cent. About D.M.K.—I am sorry Mr. Mariswamy is not here—against Ii, there is none now. Before 1972 they had one Member, Mr. Appan. He was very vociferous in speaking, in raising his voice but he is no more here. Even he has been replaced.

The same is the case with Mr. Rajnarain. B.L.D. has one or two Members from the Backward Classes but not a single Membci from the Scheduled Caste. Therefore, before asking the Congress to do something for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, let these parties do their own bit. Sir, we are always prepared as much as we can to help them. They are exploited sections of the society which have not been exploited for hundreds of years but for thousands and thousands of years. We have to bring them at par with the other sections of the society. I admit we have to do much. But I can assure the House that Indiraji and her Government wiH be second to none in ameliorating their condition. in giving them economic assistance so thai they can come at par with the other sections. Others also, while they say so much, should do at least 50 per cent., if not more, of what we are doing.

SHRI SANAT KUMAR RAHA (West Bengal): I want to know from the Minister whether adequate staff demanded by the Commissioner has been given.

SHRI OM MEHTA: If it is not given, it will be given.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The ques-tion is :

1. "That at the end of the Motion, the following be added, namely :—

'and having considered the same, this House is of opinion that the Central Government should have a Minister of Cabinet rank, absolutely in charge of the Department of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, belonging preferably to the community of Sched tiled Castes and Scheduled Tribes'."

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The qus-tion is :

2. "That at the end of the Motion, the following be added namely :—

'and having considered the same, this House is of opinion that the Central Government should give such guidelines to State Governments as to have a Minister absolutely in charge of the Department of Scheduled Castes and Scheduled Tribes'."

The motion was negatived,

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

3. "That at the end of the Motion, the following be added, namely :

'and having considered the same, this House is of opinion that a tirne-bound phased annual programme for alround developmenl and upliftment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, be formulated and implemented in time'."

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The auestion is .

4. "That at the end of the Motion, the following be added, namely :

'and having considered the same, this House is of opinion that if the target of achievement is not fulfilled in time, the Minister in charge of the Department should resign'." *The motion was negatived.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The ques-tion is :

5. "That at the end of the Motion, (he following be added, namely :—

'and having considered the same, this House is of opinion that the task

for implementation of tbe targeted annual programme should be specifically assigned to administrative officers and employees concerned with the Departments'."

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

6. "That at the end of the Motion, the following be added, namely :—

'and having considered the same, this House is of opinion that if any employee fails to achieve the specific task assigned to him, steps should be taken against the employee concerned'."

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

7. "That at the end of the Motion, the following be added, namely :—

'and having considered the same, this House is of opinion that adequate staff as required at Headquartei-s and in States by the office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, should be provided without delay'."

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

8. "That at the end of the Motion, tlie following be added, namely :—

'and having considered the same, this House is of opinion that the State Governments in general and the Central Government in particular have miserably failed to implement their own decisions regarding uplift of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes'."

The motion was negatived. MR. DEPUTY CHAIRMAN : We now take up the n«xt item. 78 KSS/74—9.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OI URGENT PUBLIC IMPORTANCE
Steep fall In Price of Cotton (Contd.)

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Shri Deorao Patil.

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : श्रीमन्, पौइन्ट आफ आर्डर । प्रातः काल जब शेखावत जी ने पौइन्ट्स रेज किए थे तब दूसरे मिनिस्टर जवाब दे रहे थे । उनके पास से ठीक जबाब नहीं आ रहा था ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : No, he has replied to Mr. Shekhawat. The next man was Mr. Deorao Patil when it closed. I know, I was in the Chair.

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : जबाब कब मिला उनका ?

श्री उपसभापति : जवाब दे चुके हैं ।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी: जवाब नहीं दिया ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : If you are not satisfied, that is another matter. But he has replied. I was in the Chair. 1 know what happened. He did reply. If you are not satisfied, it is a different question. But he has replied to Mr. Shekha-wai and 1 closed the matter there.

श्री भैरो सिंह शेखावत : हम लोग उनके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हैं ।

श्री राजनारायण : हमने यह समझा था कि जब यह डिबेट, शेडयूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर, खत्म हो जाएगी, तब कालिंग अटेन्शन आएगा । . . . .

श्री उपसभापति : वही चल रहा है अभी ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (उत्तर प्रदेश): ऐसा है, अगर आप उचित समझें आप देवराज पाटिल जी को भी बुलाएं, इसमें हमें आपत्ति नहीं, लेकिन इस प्रश्न को जो स्थगित कराया गया था वह केवल इस दृष्टि से कि शेखावत जी ने जो प्रश्नउठाये थे उनका पूरी तरह से उत्तर नहीं आया था और सदन की इच्छा थी कि जब श्री चट्टोपाध्याय आ जाएं तो उत्तर दिए जाएं । आप उचित समझें तो उनको प्रश्न करने दें ।